

सीखती सिखाती अरवरी नदी

राजेन्द्र सिंह



तरुण भारत संघ



तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति के.आर. नारायणन्, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल अंशुमान सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अरवरी नदी का काम दिखाते हुए



जबर सागर (हमीरपुर)

सीखती सिखाती अरवरी नदी

राजेन्द्र सिंह



तरुण भारत संघ

भीकमपुरा-किशोरी, थानागाज़ी, अलवर-301 022

प्रथम संस्करण : मई, 2014

लेखक : राजेन्द्र सिंह

सहयोग : कन्हैयालाल गुर्जर, छोटेलाल मीणा,
मुरारीलाल शर्मा, गोपाल सिंह,
मौलिक सिसोदिया, रेनू सिसोदिया

ग्राफिक्स : राहुल सिसोदिया


प्रकाशक : तरुण भारत संघ,
भीकमपुरा, किशोरी, थानागाजी
अलवर-301 022 (राजस्थान)
दूरभाष : 01465-225043

वितरक : जल बिरादरी
34/24, किरण पथ, मान सरोवर
जयपुर-302 020
दूरभाष : 0141-2391092

E-mail : watermantbs@yahoo.com
jalpurushtbs@gmail.com

मूल्य : 50.00 रुपये

समर्पण



भारत की नदियों व गंगा माँ के प्रवाह को निर्मल व अविरल बनाये रखने के लिए आत्मोत्सर्ग हेतु तत्पर एवं पूर्ण समर्पित 'स्वामी श्री ज्ञानस्वरूप सानन्द' (प्रो. जी.डी. अग्रवाल); परम्परागत जल संरक्षण कार्यों को वैज्ञानिक स्तर पर सफल सिद्ध करने वाले सी.एस.ई., नई दिल्ली के पूर्व निदेशक स्व. डा. अनिल अग्रवाल; सुप्रसिद्ध सर्वोदय विचारक स्व. श्री सिद्धराज ढड्डा; जल संरक्षण के तकनीकी पहलू को वैज्ञानिक आधार पर एवं प्रायोगिक स्तर पर सुस्पष्ट समझाने वाले प्रो. राशिद हयात सिद्दीकी; ग्रामीण स्तर पर अरवरी नदी को देश दुनिया में एक सफल आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने वाले प्रथम अरवरी-सांसद स्व. श्री छाजू राम गुर्जर (समरा); स्व. रामचन्द्र मीणा (कालेड़); स्व. सेदूराम गुर्जर (दारोलाई); स्व. सूनूरा पटेल (भाँवता); श्री धन्ना पटेल (कोल्याला); श्री रूडमल मीणा (हमीरपुर); पूर्व अरवरी-सांसद श्री अर्जुन गुर्जर (कोल्याला); श्रीमती मनभर (भाँवता); श्रीमती रूपा (भूरियावास) एवं वर्तमान अरवरी सांसद श्री दयाभान जी शर्मा को सादर समर्पित ।

प्रस्तावना



‘सीखती सिखाती अरवरी नदी’ पुस्तक देश भर की सूखी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए अरवरी क्षेत्र के सफल सामुदायिक प्रयासों के प्रभाव को दर्शाती है। जैसे तो इस नदी के बारे में देश भर के बड़े-बड़े लेखक, वैज्ञानिक एवं विद्वज्जन समय-समय पर हिन्दी व अंग्रेजी में अपने लेखों, पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं एवं सम्पादकीय आदि के माध्यम से विस्तृत जानकारी देते रहे हैं; पर प्रस्तुत पुस्तक में अरवरी नदी जलागम क्षेत्र के स्थानीय जन-समुदाय द्वारा जल-संकट के समाधान, अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के लिए संघर्ष और ग्राम-स्वावलम्बन की दिशा में किये गये कार्यों का संक्षेप में दिग्दर्शन किया गया है। पूर्व में इस नदी के बारे में विस्तार से लिखने वालों में सर्व श्री जसभाई पटेल, स्व. अनिल अग्रवाल, प्रो. जी. डी. अग्रवाल, श्री के.जी.व्यास, अनुपम मिश्र, प्रो. मोहन श्रोत्रिय, अविनाश, प्रो. एम. एस. राठौर एवं अरुण तिवारी आदि विद्वज्जन प्रमुख हैं। इनके अलावा श्री ललित बहल व आमिर खान जैसे प्रख्यात फिल्म-निर्माताओं ने तो इस नदी के पुनर्जीवन पर फिल्में भी बनाई हैं। अरवरी नदी को आज पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है। यह नदी जल-स्रोतों का दोहन कर के सजल नहीं हुई, बल्कि बाढ़ और सुखाड़ का समाधान कर के सदानिरा बनी है।

अरवरी नदी के पुनर्जन्म पर सबसे पहले 1996 में जसभाई पटेल ने एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी थी। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक होते हुए भी उन्होंने अरवरी नदी के पुनर्जीवन को एक हैरत अंगेज करिश्मा कहा था। प्रो. जी. डी. अग्रवाल ने इस नदी क्षेत्र के गाँवों का सर्वेक्षण कर मूल्यांकन करते हुए कहा था - “यहाँ के समाज ने जिस परम्परागत विधि से यहाँ पर जल-संरक्षण कार्य किया है; वही दुनिया की सबसे सरल, टिकाऊ व सस्ती विधि है। यहाँ के लोगों ने इस क्षेत्र के भू-जल व अधो भू-जल के भण्डारों को खुले तौर पर देख व समझ कर तदनुसार काम किया है। यहाँ का समाज कम वर्षा-जल में भी संतुलित खेती करने की तरकीब जानता है। हमें यहाँ के समाज से जल संकट से उबरने का तरीका सीखना चाहिये।”

प्रो. मोहन श्रोत्रिय व अविनाश ने 'अरवरी नदी के पुनर्जन्म की कथा' में लिखते हुए बताया है कि अरवरी नदी जलागम क्षेत्र के लोगों ने अपनी नदी को पुनर्जीवित कर के दुनिया को एक नई राह दिखाई है। यहाँ के लोग दुनिया भर में व्याप्त जल-अभाव से उत्पन्न संकट को बखूबी समझते हैं। प्रो. एम. एस. राठौर ने अरवरी नदी के पुनर्जीवन पर एक विधिवत् शोध कर के यहाँ के लोगों की अद्भुत सूझबूझ और संयमित अनुशासन का सम्मान करते हुए कहा है कि 'अरवरी नदी' क्षेत्र के लोग अब इक्कीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में, कथित आधुनिक विकास की राह पर दौड़ते हुए विश्व को, भयावह जल-संकट के समाधान का परम्परागत व स्व-परीक्षित उपाय सिखाते हैं। अरवरी क्षेत्र के लोगों ने अरवरी नदी जलागम क्षेत्र में बसे हुए सभी गाँवों का एक 'नदी घाटी संगठन' (अरवरी संसद्) बना कर एक बड़े करिश्मे का काम किया है। 'अरवरी संसद्' नामक यह संगठन, कम से कम वर्षा-जल की उपलब्धता में भी देश और दुनिया को जीना सिखाता है तथा उन्हें, मरती हुई नदियों को पुनर्जीवित करने की राह पर चलना भी सिखाता है। जल संरक्षण के प्रभाव को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने के लिए आस्ट्रेलिया की वैज्ञानिक शोधार्थी श्रीमती क्लेयर भी यहाँ शोध करने आई थी। उसने अरवरी क्षेत्र के भिन्न-भिन्न स्थलों पर जल-संरक्षण के कार्यों का काफ़ी गहराई से अध्ययन करके, यहाँ के काम के प्रभाव को दर्शाया है।

हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन् भी 28 मार्च 2000 को अरवरी नदी क्षेत्र के लोगों का करिश्मा देखने और उनका उत्साह बढ़ाने हेतु स्वयं अरवरी नदी पर आये थे। दर असल वे विभिन्न विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से अरवरी क्षेत्र के लोगों द्वारा पानी के काम हेतु किये गये प्रयासों की प्रशंसा सुन चुके थे। वे उनके सफल प्रयासों से प्रभावित होकर पुरस्कार देने हेतु उन्हें राष्ट्रपति भवन (दिल्ली) में बुलाना चाह रहे थे। पर अरवरी क्षेत्र के लोगों ने उनको विनम्रता पूर्वक संदेश भेजा कि राष्ट्रपति जी ! यदि आप हमारे काम से सचमुच प्रभावित हैं; तो आपको यहाँ स्वयं आकर हमारे कामों को प्रत्यक्ष देखना चाहिये। स्वयं देखने के बाद ही पुरस्कार देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इस बात को माननीय राष्ट्रपति जी ने बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया। उन्होंने आते

समय वायुसेना के विमान में बैठे-बैठे जब अरवरी नदी जलागम क्षेत्र की हरियाली को देखा, तो आश्चर्य-चकित हो गये थे। उन्होंने आनन्द-विभोर हो कर कहा था कि लोगों के संगठन और उनके परम्परागत ज्ञान से कैसे एक नदी क्षेत्र एकदम हराभरा हो गया है ! महामहिम ने यहाँ आने के बाद यहाँ के लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा था- “भारत में असली स्वराज्य सच में आप जैसे लोगों के प्रयासों से ही आ सकता है। आपने वर्षा-जल का संरक्षण कर के अरवरी नदी को पुनर्जीवित करने का एक पुनीत कार्य किया है। मैं आग्रह करता हूँ कि पूरे देश भर में जहाँ भी इस तरह के कामों की ज़रूरत हो, वहाँ का समाज अवश्य ऐसे काम करे।”

महामहिम राष्ट्रपति जी के अलावा ‘अरवरी नदी’ व ‘अरवरी संसद्’ का काम देखने केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री सुन्दर लाल पटवा, जल संसाधन मंत्री श्री सोमपाल शास्त्री व केन्द्रीय जल-संसाधन मंत्री प्रो. सैफुद्दीन सौज़ भी यहाँ आये थे। श्री सौज़ साहब ने अरवरी नदी में हुए कार्यों को देख कर यहाँ के लोगों द्वारा वाष्पीकरण रहित परम्परागत तकनीक से किये गये भू-जल संरक्षण के काम की प्रशंसा करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई दी और इस बाबत उन्हें दो पृष्ठ का एक बधाई-पत्र भी लिखा था।

अरवरी नदी में मछलियों के ठेके के कारण उठे विवाद को मिटाने के लिए दिसम्बर 1998 में न्यायमूर्ति श्री वैकट चलैया जी (पूर्व मुख्य न्यायाधीश), उच्चतर न्यायालय के निर्देशन से न्यायमूर्ति श्री गुलाब चन्द गुप्ता, मुख्य सचिव श्री मीठालाल मेहता एवं उप कुलपति श्री टी.के. उन्नीथान भी यहाँ आये थे। उन्होंने यहाँ पर उपस्थित 7000 लोगों के समक्ष अरवरी नदी के विवाद को मिटाते हुए कहा कि “भारत के सांवैधानिक क़ानून के अनुसार तो यह नदी, राजस्थान सरकार की ही है; पर प्रकृति प्रदत्त क़ानून के अनुसार यह नदी, अरवरी नदी जलागम क्षेत्र में बसे सभी 72 गाँवों की है। इसके जल व मछलियों आदि का संरक्षण व उपयोग करने का हक़ उक्त सभी गाँवों का ही होना चाहिए। लेकिन जब तक कोई लोकतान्त्रिक ढाँचा नहीं बन जाता, तब तक इसकी देखभाल राजस्थान सरकार करे।” इस निर्णय की अनुपालना में ही तो एक सशक्त लोकतान्त्रिक ढाँचे के रूप में ‘अरवरी संसद्’ का गठन हुआ था।

राजस्थान के, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्व. बी. एस. सिंह एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रामलुभाया ने भी अरवरी नदी क्षेत्र का अवलोकन कर के कहा था कि राजस्थान के जल-संकट का समुचित समाधान व एकमात्र उपाय यह 'सामुदायिक विकेन्द्रित जल-प्रबन्धन' ही है। समाज जब इस तरीके से काम करने लग जायेगा, तो स्वतः ही पानीदार बन जायेगा।

कर्नाटक के जल-संसाधन मंत्री श्री एच. के. पाटिल ने भी अरवरी नदी क्षेत्र के लोगों की प्रशंसा करते हुए भरी सभा में उन्हें बधाई दी और कहा कि हम भी आप लोगों से सीख लेकर अपने क्षेत्र की 'ईचन हल्ला' नदी पर इसी तरह का काम करेंगे। उड़ीसा के मंत्री ने भी अरवरी नदी के कामों को देख कर कहा कि हम भी अपने राज्य में ऐसा ही काम करेंगे।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने तो अरवरी नदी क्षेत्र में स्थानीय लोगों की जन-भागीदारी से किये गये कार्यों को देख कर ही 'नरेगा' योजना का ढाँचा तैयार किया था। इस योजना में जल-संरक्षण कार्यों को ही प्राथमिकता दी गई थी और अरवरी क्षेत्र में किये गये जल-संरक्षण कार्यों को ही 'नरेगा' के कार्यों का आधार बनाया गया था। लेकिन दुःखद बात है कि 'नरेगा' आज 'मनरेगा' तो बन गया, पर अरवरी की तर्ज़ पर काम नहीं हो पाया।

उक्त लोगों के अलावा देश भर के लगभग सभी राज्यों से तथा पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, जर्मनी, जापान, स्वीडन, इटली, यू. के., अमेरिका, इंग्लैण्ड तथा अन्य देशों के भी अन्तर्राष्ट्रीय मेहमान 'अरवरी नदी' व यहाँ के लोगों का करिश्मा देखने व समझने समय-समय पर आते रहे हैं। अपने देश में वापस जाकर वे यहाँ पर देखी-समझी तरकीब को अपने-अपने क्षेत्र में आजमाते व अपनाते भी हैं। पिछले 25 वर्षों में यहाँ पर किये गये जल-संरक्षण कार्यों तथा लोगों के संगठन को देखने-समझने हेतु यहाँ पर लाखों की संख्या में देशी-विदेशी मेहमान आ चुके हैं और अभी भी उनका आना-जाना जारी है।

अरवरी नदी के पुनर्जीवन की कहानी और इसके प्रबन्धन के लिए बनी 'अरवरी संसद्', दोनों ही सरल, सहज और सामुदायिक कार्य हैं। जिस सरलता और सहजता से समुदाय ने ये काम सम्पादित किये हैं, वैसे ही कामों से दूसरी सूखी और मरी हुई नदियों को भी समाज अपने ही श्रम, समझ व संगठन से

निश्चित ही पुनर्जीवित कर सकता है। बस! जरूरत है तो केवल आत्म-बल, मनोबल और दृढ़ इच्छा शक्ति की। जिस तरह का काम और जैसा संगठन अरवरी नदी क्षेत्र में हुआ है, वैसा ही काम पूरे देश में होना चाहिये। यह बात, यहाँ पर सीखने के लिए आने वाले लाखों लोगों ने अपने अरवरी भ्रमण के दौरान तथा अन्यत्र भी जाकर कही है। अरवरी नदी क्षेत्र के 'ताल, पाल व झाल' ने इस क्षेत्र के भू-जल भण्डारों को भर कर नदी को पुनर्जीवित कर शुद्ध सदानीरा बनाया है। इसी तरह से आज पूरे समाज को भी सदानीरा बनाने की ज़रूरत है।

यह पुस्तक हमें ऐसा ही करने की प्रेरणा देने वाली पुस्तक है। इस पुस्तक में एक नदी घाटी की धरती पर वहाँ के लोगों द्वारा किये गये 28 सालों के कामों के सफल प्रयासों के प्रभाव का वर्णन है। यह पुस्तक लोगों द्वारा पानी के लिए किये गये भौतिक कार्यों का तो वर्णन नहीं करती; लेकिन उनके द्वारा किये गये कार्यों के प्रभावों को बताने व दिखाने का सरलतम उपाय अवश्य खोजती है। यह पुस्तक आँखों देखा बदलाव, मन में हुआ अहसास तथा कुछ अच्छा करने का आभास कराती है।

इस पुस्तक में अरवरी जल-विवाद को मिटा कर नदी की लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनाने की एक छोटी-सी कहानी है। यह कहानी मरती हुई छोटी-बड़ी नदियों को पुनर्जीवित करने तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्था को सफल एवं समय सिद्ध अनुभवों की दास्तान बना सके; ऐसी मेरी सद् इच्छा है। इसी से तो सीख ले कर सरसा, भगाणी-तिलदह, जहाज वाली, रूपारेल, साबी व महेश्वरा नदियाँ (राजस्थान); इलाहाबाद की नदियाँ (उत्तर प्रदेश); माँ अग्रणी नदी (महाराष्ट्र) व ईचन हल्ला नदी (कर्नाटक) के बाशिन्दों ने सफलता पाई है। मेरी इच्छा है कि अरवरी की तरह ही देश की अन्य सभी छोटी नदियाँ सामुदायिक प्रबन्धन के द्वारा पुनर्जीवित हो कर शुद्ध सदानीरा बनें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह पुस्तक लिखी गई है।

'सीखती सिखाती अरवरी नदी' पुस्तक हम अपने उपाध्यक्ष प्रो. जी. डी. अग्रवाल (वर्तमान में स्वामी ज्ञान स्वरूप सानन्द) को सादर समर्पित करते हैं। स्वामी जी ने 'माँ गंगा' को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए अब अपना शेष जीवन गंगा माँ को समर्पित कर दिया है।


अरवरी नदी भी गंगा माँ की ही एक छोटी-सी धमनी है। आपने गंगा माँ के साथ-साथ इस धमनी को भी पुनर्जीवित कर स्वस्थ रखने का कार्य इस क्षेत्र के समुदाय व तरुण भारत संघ के साथ मिल कर किया है। यह पुस्तक प्रो. जी. डी. अग्रवाल (वर्तमान में स्वामी ज्ञान स्वरूप सानन्द) को समर्पित करते हुए अपने आप को धन्य मानते हैं।

इनके अलावा यह पुस्तक उन सभी जल-प्रेमियों को भी सादर समर्पित है, जिन्होंने अरवरी नदी जलागम क्षेत्र में जल, जंगल, ज़मीन व जन-भागीदारी के लिए तन-मन-धन से पुनीत कार्य किया है। अरवरी नदी को पुनर्जीवित करने हेतु लोगों को जोड़ने में इन लोगों की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है, जो आज हमारे बीच नहीं हैं- स्व. गोपाल सिंह, सून्दरा गुर्जर, (भाँवता); छींतर डोई, हरसाय डोई, नाथू कोली (कोल्याला); रामधन मीणा (सेवा का गुवाड़); रामचन्द्र मीणा (कालेड़); बद्री गुर्जर (देव का देवरा); छाजू राम गुर्जर (समरा); सेदू गुर्जर (दारोलाई); प्रभात गुर्जर (चैनपुरा); तेजाराम गुर्जर (बाग़ की ढाणी-रायसर); राम प्रताप गुर्जर (बराणा की ढाणी) आदि।

इनके अलावा जिन लोगों का आज भी निरन्तर सहयोग मिलता रहता है, उनमें प्रमुख हैं- सर्व श्री धन्ना गुर्जर, अर्जुन गुर्जर, (कोल्याला); छोटेलाल गुर्जर, राम सहाय 'मास्टर जी' (भाँवता), वीरेन्द्र सिंह 'मास्टर जी' (पड़ाक); दयाभान जी शर्मा (प्रतापगढ़); गजराज सिंह जी (जगन्नाथपुरा); रूड़मल मीणा, शम्भु दयाल 'मास्टर जी' (हमीरपुर); मूलचन्द पटेल (राज्याली-समरा); चुन्नी लाल गुर्जर, (ग्यार्या-समरा); गोपी गुर्जर, हीरालाल 'बाबूजी' (चौक्याला-कालेड़); रामप्रताप जी (खान्याँ), नानगराम मीणा (बस्सी) आदि। इन सभी को यह पुस्तक समर्पित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं।

इस पुस्तक को लिखने में मेरे साथ गोपाल सिंह व कन्हैया लाल ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेनू सिसोदिया, मौलिक सिसोदिया छोटे लाल मीणा एवं मुरारी शर्मा ने भी सर्वेक्षण व साक्षात्कार करने में सहयोग किया है। रेनू सिसोदिया ने सर्वेक्षण सारणी का विश्लेषण करने का काम भी किया है। इन सबके सहयोग के बिना इस पुस्तक को तैयार करना सम्भव नहीं था।

राजेन्द्र सिंह



रामजीपुरा तरुणशाला में महिला मीटिंग



अरवरी किनारे पहुँचे शान्ति प्रतिष्ठान के अनुपम मिश्र, एफ.ए.ओ. (नेपाल) के प्रेम शर्मा और हमीपुरवासी

भौगोलिक परिचय

अरवरी नदी का उद्गम राजस्थान के पूर्वोत्तर भाग में स्थित अलवर जिले की तहसील थानागाज़ी व जयपुर जिले की तहसील जमुवा रामगढ़ व विराटनगर के कुछ हिस्से से होता है। अरवरी नदी की एक मुख्य धारा तहसील थानागाज़ी के आगर गाँव के पास काँकड़ की ढाणी व धोली दाँती-सेवा का गुवाड़ा से तथा दूसरी धारा भाँवता-कोल्याला(भूरियावास) से प्रारम्भ होती हुई दक्षिण दिशा में आगे को बढ़ जाती है। एक अन्य धारा जोधूला व आमका से चलकर पड़ाक गाँव से होती हुई चौसला गाँव के पास मुख्यधारा में मिल जाती है। ये तीनों धाराएँ प्रतापगढ़ से आगे चाँदपुरा के पास, अरवरी नदी के मुख्य उद्गम 'शिव दहड़ा' की धारा, जो नागेल दारोलाई, लालपुरा व माधोगढ़ से शुरू होकर आती है; उससे मिल जाती है। इसी में लोठावास व पलासाना से आने वाली धारा भी आकर मिल जाती है। आगे हमीरपुर के पास भी कई छोटे-बड़े नालों का पानी अरवरी नदी की मुख्य धारा में आकर मिल जाता है। एक अन्य धारा भाँवता-कोल्याला के 'भैरूदेव लोक वन्यजीव अभयारण्य' से शुरू होकर खरड़ाटा, डूमोली, साँवतसर, झिरी व जगन्नाथपुरा होते हुए समरा गाँव के पास आकर मुख्य धारा में मिल जाती है। जैतपुर गूजरान व नटाटा से होकर एक धारा और आती है, जो कलजपुरी के बाँध को भरती हुई सैथल सागर से पूर्व ही मुख्य अरवरी नदी में मिल जाती है। ये सब धाराएँ आपस में मिलती हुई अंत में 'सैथल सागर' में समाहित हो जाती हैं। यही मुख्य अरवरी नदी है।

अरवरी नदी की एक मुख्य सहायक धारा जो 'बिड़ीला नदी' के नाम से जानी जाती है। यह जयपुर जिले की जमुवा रामगढ़ तहसील के चलपली, धीरावास, बहलोड़, चैनपुरा व रायसर गाँवों से गुजरती हुई खरड़ बाँध को भरती हुई आगे बढ़ती है। इसी बाँध में एक धारा सामरेड़ की ओर से तथा एक धारा महँगी की ओर से भी आकर मिलती है। खरड़ बाँध को भरने के बाद अरवरी नदी की यह सहायक धारा सायपुर, आँधी, थली व जगतसर होते हुए अंत में 'सैथल सागर' में जाकर मिल जाती है।

सैथल सागर को भरने के बाद अरवरी नदी नाभाला, सैथल व पीलवा के पास से होती हुए नाँगल दासा के पास सरसा नदी को भी अपने में मिला लेती है। इससे आधा एक किलोमीटर ही आगे चलकर ये दोनों संयुक्त नदियाँ जहाजवाली नदी और भगाणी-तिलदह नदियों को भी अपने में समाहित करती हुई अपना नाम 'साँवाँ नदी' के रूप में बदलकर बाँदीकुई के झूथाहेड़ा कलाँ व बैजूपाड़ा गाँवों के पास 27 डिग्री 02 मिनट 35 सैकण्ड उत्तरी अक्षांश व 76 डिग्री 46 मिनट 48 सैकण्ड पूर्वी देशान्तर पर बाण गंगा में विलीन हो जाती हैं। बाण गंगा (उतंगन नदी) आगे रेहावली का पुरा व रीथल गाँवों के बीच 26 डिग्री 59 मिनट 01 सैकण्ड उत्तरी अक्षांश व 76 डिग्री 26 मिनट 49 सैकण्ड पर यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी प्रयाग (इलाहाबाद) में जाकर राष्ट्रीय नदी गंगा जी में समाहित हो जाती है और गंगा जी अंत में 'गंगासागर' में जाकर सागर-स्वरूप हो जाती है, जिसका दर्शन हमें एक विशाल समुद्र के रूप में होता है।

अरवरी नदी का जलागम क्षेत्र मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ियों के बीच की ज़मीन ही खेती के उपयोग में आती है। यहाँ की मिट्टी दोमट व कहीं-कहीं पथरीली है। दोमट मिट्टी फ़सल के लिए तथा पथरीली मिट्टी पेड़-पौधों के लिए उपयोगी है। विश्व के मानचित्र में अरवरी नदी जलागम क्षेत्र 27 डिग्री 00 मिनट 37.5 सैकण्ड से 27 डिग्री 20 मिनट 57 सैकण्ड उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 4 मिनट 15 सैकण्ड पूर्वी देशान्तर से 76 डिग्री 17 मिनट 36 सैकण्ड पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। अरवरी नदी का जलागम क्षेत्र 492 वर्ग किलोमीटर है। अरवरी नदी में ऊपरी क्षेत्र के गाँव काँकड़ की ढाणी से सैथल सागर तक की सीधी दूरी 35 किलोमीटर तथा नदी में घुमावदार दूरी 45 किलोमीटर है। इसके सबसे ऊँचे पर्वत शिखर का लेवल समुद्र तल से 710 मीटर है। तलहटी में इस जलागम क्षेत्र के सबसे ऊपर के गाँव काँकड़ की ढाणी का लेवल समुद्र-तल से 479 मीटर ऊपर तथा सबसे नीचे के क्षेत्र सैथलसागर का लेवल समुद्र तल से 335 मीटर ऊपर है। इस प्रकार काँकड़ की ढाणी से सैथल सागर तक सीधा ढाल प्रति कि.मी. 4.11 मीटर तथा घुमावदार नदी का औसत ढाल प्रति कि.मी. 3.20 मीटर है।


अरवरी नदी के जलागम क्षेत्र में सन् 1985 से 2014 तक तरुण भारत संघ व गाँव के सहयोग से कुल 402 जल-संरक्षण संरचनाओं का निर्माण हुआ है।

अरवरी क्षेत्र में प्रवेश


वर्ष 1985 में मरणासन्न अरवरी नदी को देख कर यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि यह नदी कभी पुनः जीवित भी हो सकती है। अकाल का दौर शुरू हो चुका था। कुओं का जल-स्तर निम्न से निम्नतर होता जा रहा था। पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई थी। सरसा नदी क्षेत्र के गाँव गोपालपुरा में तरुण भारत संघ और गाँव के लोगों की सहभागिता से पानी का काम शुरू हो चुका था। उधर अरवरी नदी अन्तिम साँसें ले रही थी।

यों तो यहाँ की अन्य नदियों का भी यही हाल था, पर अरवरी नदी का सूख जाना, यहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा गम्भीर बात थी। क्योंकि यहाँ के बुजुर्गों ने अपने बाल्य-काल में कभी इस नदी को शुद्ध सदानीरा व निर्मल अविरल बहते हुए देखा था। उन लोगों को अब यह सूखी नदी एक बेजान लाश के समान दिखाई दे रही थी। लोग अपनी प्यारी नदी को जीवित तो करना चाहते थे, पर क्या करें? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वे कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे। और सरकार..... सरकार तो केवल चुनावों के दौरान ही कुछ-कुछ सक्रिय दिखाई देती थी, बाकी समय में तो चादर तान के सो ही जाती थी। ग्राम-पंचायतों के पास भी तब इतना बड़ा बजट नहीं होता था, जिससे अपने गाँव में पानी के काम के लिए बढ़ावा दे सकें। निरुपाय गाँव वाले निराश हो कर बैठ गये थे।

इसी दौरान 30 जनवरी से 10 फरवरी 1987 तक श्री सिद्धराज ढड्डा के नेतृत्व में 'तरुण भारत संघ' ने एक 'ग्राम-स्वराज्य पदयात्रा' शुरू की थी, जो यहाँ के अलग-अलग गाँवों में अलग-अलग लोगों द्वारा



गाँव बीच का जोहड़-कोळ्याळा



संचालित की गई थी। इसी यात्रा के दौरान फरवरी 1987 के प्रथम सप्ताह में तरुण भारत संघ के कार्यकर्ता पहली बार 'अरवरी नदी' क्षेत्र के हमीरपुर गाँव में पहुँचे थे।

रूडमल मीणा अपनी पुरानी हवेली में जेवड़ी (रस्सी) बाँट रहा था। तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं को आया देख कर उसने उनसे परिचय किया। जब उसे मालूम हुआ कि ये लोग एक संस्था 'तरुण भारत संघ' के कार्यकर्ता हैं और पानी के काम में लोगों की मदद करते हैं, तो उसने अपने गाँव में भी पानी का काम करने की गुजारिश की। उसे 11 फरवरी 1987 को थानागाज़ी में किये जा रहे किसान-सम्मेलन में आने को कहा गया। इस सम्मेलन में हमारे साथ प्रख्यात सर्वोदयी विचारक श्री सिद्धराज ढड्डा भी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में जल व जंगल संरक्षण के साथ ही साथ देशी खाद-बीज व ग्राम-स्वावलम्बन के बारे में भी बातचीत हुई।

सम्मेलन के बाद एक दिन रूडमल मीणा तरुण भारत संघ के प्रारम्भिक कार्यालय भीकमपुरा में आया। उसने अपने गाँव हमीरपुर में पानी का काम करने का आग्रह किया। गोपालपुरा का काम उसने देखा था; क्योंकि गोपालपुरा में

उसकी रिश्तेदारी थी। इसलिए वह श्रमदान की पूरी प्रक्रिया से वाकिफ़ था। उसके आग्रह पर गाँव में जाकर साइट देख कर काम शुरू कर दिया गया। सबसे पहले 'जोगियों वाली जोहड़ी' का काम शुरू हुआ था। इसके बाद तो गाँव में तथा आसपास के अन्य गाँवों में पानी के कामों का एक सिलसिला ही शुरू हो गया।

धीरे-धीरे अरवरी नदी जलगाम क्षेत्र के उद्गम के गाँवों में भी पानी के कामों की शुरूआत होने लगी। देखते ही देखते उद्गम से संगम तक पूरे अरवरी क्षेत्र में पानी के अच्छे-अच्छे काम होते ही चले गये। पानी के इन कामों के प्रभाव से 1990 में अरवरी नदी में फिर से पानी दिखाई देने लगा; जो अक्टूबर माह तक बहता दिखाई दिया। यह देख कर लोगों का हौसला और बढ़ा तथा काम भी तीव्र गति से आगे बढ़ा। सन् 1996 के चौमासे के बाद अरवरी नदी पूरे साल बहने लगी। बस ! अरवरी नदी पुनर्जीवित हो गई और तब से अब तक वह शुद्ध सदानीरा हो कर बह रही है। लोगों को अपनी मेहनत का फल मिल गया। आज वे पूरी तरह से प्रसन्न और संतुष्ट हैं।

पानी के काम से पूर्व की स्थिति के बारे में पूछने पर हमीरपुर के रूड़मल मीणा पानी के संकट से उत्पन्न अपनी दुःखद स्थिति की आपबीती कहानी सुनाते हुए कहते हैं- “ संस्था के काम से पूर्व, अकाल के दौरान भीषण जल-संकट के कारण मुझे उदर-पूर्ति व आजीविका के लिए बाहर जाना पड़ा था। मैं मेहनत मज़दूरी के लिए जयपुर चला गया था। बड़ी विषम परिस्थितियों में रहते हुए, मुझे वहाँ कई तरह के अच्छे-बुरे काम करने पड़े थे। वहाँ मेरे ही जैसे अन्य लोगों की भी लगभग यही हालत थी।


रूड़मल मीणा कहते हैं- “इस तरह के काम के दौरान 1987 के प्रारम्भ में मैं जब गाँव आया तो तरुण भारत संघ से सर्म्पक हो गया। बस! तभी से संस्था के साथ जुड़ कर मैं अपने गाँव के लिए तथा दूसरे गाँवों के लिए पानी के काम में यथा सम्भव सहयोग करता रहता हूँ। आज हमारा इलाक़ा पानी के मामले में समृद्ध है। आज हम पानीदार हैं। अब हम सब खुश हैं।



‘सीखती सिखाती अरवरी नदी’

19 वीं सदी में शुद्ध सदानीरा बहने वाली ‘अरवरी नदी’ 20 वीं सदी के उत्तरार्द्ध में सूख गई थी। नदी बेसिन में बसे हुए गावों के जवान लोग पानी के अभाव में शहरों की तरफ पलायन करने लगे थे। गाँव उजड़ने लगे। गाँवों में केवल बुजुर्ग लोग-लुगाई और बच्चे ही बचे हुए थे, जो लाचारी, बेकारी व बीमारी का जीवन जीने को मजबूर थे।

1987 में अरवरी क्षेत्र के हमीरपुर व भाँवता आदि गाँवों में बचे हुए लोगों ने बादलों की गोद से निकली पानी की बूँदों को ऐसे ढंग से पकड़ना शुरू किया कि उन पर सूरज की टेढ़ी नज़र न लगे। गाँव के लोगों ने अपनी परम्परागत सूझबूझ से, सूख चुके कुओं में उतर-उतर कर, धरती के अन्दर की सलों (परतों) को देखा और परखा। मिट्टी की परख, धरती का ढाल, वर्षा का वेग, बादलों के आपस में टकरा कर बरसने तथा पानी की उपलब्धता आदि बातों का ज्ञान लोगों में जहाँ-तहाँ बिखरा पड़ा था। ‘तरुण भारत संघ’ ने इसी बिखरे पड़े अनमोल ज्ञान को जोड़ने का काम शुरू किया। बिखरे पड़े इस ज्ञान को जोड़ने की पहल लोगों ने अपनी प्यास बुझाने के काम से की। लोगों ने बादलों से निकली पानी की बूँदों को पकड़ने के लिए जोहड़, तलाई, बाँध, एनीकट,




गूदड़्या वाला जोहड़ - दारोळाई

चैकडैम, खेत-तलाई, मेड़बन्दियाँ व झालरे आदि भिन्न-भिन्न प्रकार की जल-संरक्षण संरचनाओं का निर्माण 'ताल, पाल और झाल' के सिद्धान्त पर शुरू किया था। यहाँ 'ताल, पाल, व झाल' के बारे में जानना समीचीन होगा।

ताल:— यह मिट्टी से बनी एक अर्ध-चन्द्राकार संरचना होती है। ताल को ही विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों में जोहड़, जोहड़ी, तालाब, तलाई, तलैया, पोखर, पोखरा, नाडा, नाडी आदि नामों से भी जानते हैं। यह चिकनी मोरम मिट्टी में, जहाँ भी झील या गहराई मिल जाये, वहाँ बनाई जा सकती है।

ताल-निर्माण बहुत पुरानी परम्परा है। सर्वमान्य है कि मानव सभ्यता मुख्यतः नदियों के किनारे ही पनपी है। धीरे-धीरे जब आबादी बढ़ने लगी तो लोगों को नदियों से दूर जाना पड़ा। नदियों से दूर जाने पर स्वाभाविक है कि लोगों को पीने के पानी की समस्या भी आने लगी। 'आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है।' लोगों ने अपने आवास के आसपास ही वर्षा-जल को संरक्षित करने की विधि खोज निकाली। इस विधि से निर्मित संरचना ही कालान्तर में 'ताल' कहलाने लगी। ताल मुख्यतः पशु-पक्षियों, जंगली जानवरों, तथा मनुष्यों के पीने व नहाने आदि के काम आता है। इसके अलावा ताल से आसपास के कुओं का जल-स्तर भी ऊपर आता है। ताल की पाल पर मिट्टी का कटाव नहीं हो, इस के लिए पाल पर वनस्पति, घास, दूब आदि लगानी चाहिये। ताल के जल को सूरज की नज़र से बचाने के लिए इसकी दक्षिण दिशा में पेड़-पौधे लगाने चाहिये।

तालों के किनारे ही किसी ज़माने में मानव-सभ्यता और सामाजिक संस्कारों ने जन्म लिया था। ताल समाज को प्रकृति का सम्मान करना सिखाते थे और ताल ही उनके जीवन की ज़रूरतें भी पूरी करते थे। ये किसी के निजी लाभ या लालच को पूरा करने के लिए नहीं बनाये जाते थे, बल्कि ये सब के साझे भविष्य और वर्तमान के लिए शुभ का हेतु बनते थे। ये लोगों को जल-संरक्षण हेतु त्याग, तपस्या व श्रम-निष्ठा का व्यवहार करना सिखाते थे। ताल में भरा वर्षा-जल समाज का पुण्य-फल माना जाता था। इसीलिए इस पर सभी का समान हक़ होता था।



भैरूजी वाला बाँध - कोळ्याळा-भाँवता

ताल भू-जल व अधो भू-जल भण्डारों के लिए स्पंज का काम करता है। यह, वर्षा के जल को अपने अन्दर समा लेता है। धरती के पेट में समाहित यही संरक्षित जल, धीरे-धीरे ताल के नीचे अथवा नदी में प्रवाह पैदा करता है। ताल के इस स्पंजी प्रवाह से ही तो 'अरवरी नदी' प्रवाहित हुई है।

ताल ज्यादातर नीचे की तरफ, लेकिन मुख्य धारा से हटकर बनते हैं। इनमें ऊपर से आने वाला पानी ही इकट्ठा होता है। ताल इस एकत्र पानी को जीवन देने का तथा धरती माता को सरस बनाने का काम करते हैं। मनुष्य, पशु-पक्षी व धरती का पेट भरना ही तालों का मुख्य उद्देश्य है। अरवरी नदी जलागम क्षेत्र में अब तक 184 तालों का निर्माण किया जा चुका है।

पाल:- पाल प्रायः समतल अथवा कम ढलान वाली भूमि पर बनाई जाती हैं। समतल भूमि पर पाल सीधी बनाई जाती हैं। कहीं-कहीं ढलान वाली भूमि पर भी पाल सीधापन देकर बना ली जाती है। पाल प्रायः मिट्टी की ही होती है। पाल की डिजाइन (लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई, मोटाई व गहराई आदि) जल के दबाव को ध्यान में रख कर तय की जाती है। पाल अधिकतर खेती की ज़मीन पर खेतों के किनारे पर बनाई जाती हैं; लेकिन ये प्रायः नदी बेसिन के मध्य और निचान वाले क्षेत्र में भी बनाई जाती हैं। ये सहज ढलान


व समतलीय भूमि पर ज्यादा सुरक्षित रहती हैं। बन्ध, बाँध, मेड़बन्दी, खेत-बन्ध, नाला-बन्ध, चैकडैम और छोटे एनीकट आदि का काम 'पाल' के अन्तर्गत ही आता है।

पाल बनाने का काम भी सदियों से होता आया है, लेकिन आज हमारे आधुनिक कथित विकास के तौर-तरीकों द्वारा मेहनती लोगों को भी श्रमहीन व आलसी बनाया जा रहा है। अरवरी नदी जलागम क्षेत्र में अब तक 178 पालों का निर्माण किया जा चुका है।

झाल :- झाल प्रायः ऊपर की तरफ और मुख्य धाराओं में ही बनती हैं। इनका उद्देश्य वर्षा-जल को एक नियत स्तर तक रोक कर शेष वर्षा-जल को अपने ऊपर से बह कर जाने देना है। अर्थात् तीखे ढलान पर दौड़ते हुए पानी को चलना सिखाना ही 'झाल' का मुख्य उद्देश्य है। ये कभी-कभी तो सीधी तथा कभी-कभी उभय चन्द्राकार बनाई जाती हैं। एक नियत बिन्दु तक वर्षा जल को झेलने के बाद पानी को अपने ऊपर से बह जाने देने वाली जल-संरचना को ही 'झाल' कहते हैं।

अरवरी नदी जलागम क्षेत्र में सैकड़ों झाल बनाये गये हैं, जिनमें भाँवता का 'साँकड़ा बाँध', हमीरपुर में भैंसादह का 'जबर-सागर', समरा का 'खजूरी

झाल



जबर सागर (हमीरपुर)

वाला एनीकट', कालेड़ का टोडी वाला 'कुंज-सागर' तथा बस्सी का 'नीमड़ी वाला एनीकट' आदि प्रमुख हैं। अरवरी नदी जलगाम क्षेत्र में अब तक 40 झाल-निर्माण कार्य हो चुके हैं।

अरवरी नदी में 1985 के बाद बनी 'ताल, पाल और झाल' जैसी परम्परागत जल-संरचनाओं ने इस नदी को 1996 में पहली बार शुद्ध सदानीरा बना कर एक हैरत अंगेज करिश्मा कर दिया। नदी एक बार बहने लगी तो बस! बहने ही लगी। नदी का बहना शुरू होने के बाद कई मौके ऐसे भी आये जब वर्षा आधी से भी कम हुई; पर तब भी आज तक यह नदी और नदी क्षेत्र के कुएँ सूखे नहीं।

1996 में जब यह नदी पहली बार बारहमासी बहने लगी तो राजस्थान सरकार ने 30 नवम्बर को नदी में से मछली पकड़ने का ठेका जयपुर जिले के एक ठेकेदार को दे दिया। ठेकेदार के लोग जब मछली पकड़ने आये, तो ग्राम वासियों ने उनको मछली नहीं पकड़ने दिया। सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने पर अरवरी नदी क्षेत्र के सभी गाँवों के लोगों ने सरकार के विरुद्ध एक जन-आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन का नाम रखा 'जलचर बचाओ आंदोलन'। अन्त में 11 अप्रैल 1997 को ग्राम वासियों के संगठित आंदोलन के कारण सरकार को अरवरी नदी में से मछली पकड़ने का ठेका रद्द करना पड़ा। राजस्थान सरकार ने जब तरुण भारत संघ के विरुद्ध झूठे मुकद्दमे दर्ज कराये, तो अरवरी क्षेत्र के लोगों के आग्रह पर मदद के लिए देश भर के पर्यावरणविद्, उच्च अधिकारी,



जन-सुनवाई (हमीरपुर में)

वैज्ञानिक व समाज सेवी 19 दिसम्बर 1998 को अरवरी नदी की धरती पर आये। इनमें मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री गुलाब सी. गुप्ता, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री मीठालाल मेहता व राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति श्री टी. के. उन्नीथान आदि प्रमुख हैं। जन-सुनवाई के दौरान इन लोगों ने अरवरी क्षेत्र के लोगों की समस्याएँ सुनीं और उनके समाधान के लिए कुछ निर्णय भी दिये। प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:-

1. अरवरी नदी राजस्थान सरकार की है।
2. प्रकृति प्रदत्त अधिकार के तहत अरवरी नदी को जिन 72 गाँवों ने मिलकर पुनर्जीवित किया है, यह उनकी साझी नदी है। इसलिए इन लोगों को इसका पानी उपयोग में लेने तथा जल-जन्तुओं को संरक्षित करने का नैतिक अधिकार है।
3. जब तक अरवरी नदी की कोई लोकतान्त्रिक प्रबन्धीय व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक इस नदी की देखभाल राजस्थान सरकार करेगी।

इस फ़ैसले को सुनकर अरवरी नदी बेसिन से आये हजारों लोग (लगभग 7000) खिन्न हो गये; लेकिन उन्हें समझाया गया कि नैतिक दृष्टि से हमें न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये इस फ़ैसले का सम्मान करते हुए इसका पालन करना चाहिये। इसके साथ ही लोगों को यह भी कहा गया की अब शीघ्र ही अरवरी क्षेत्र के सभी गाँवों को एक लोकतान्त्रिक प्रबन्धीय व्यवस्था अर्थात् 'नदी संसद्' बना लेनी चाहिये। जल्दी ही अरवरी क्षेत्र के सभी गाँवों ने मिलकर 26 जनवरी 1999 को एक 'नदी संसद्' का गठन कर लिया। इस नदी संसद् का नाम रखा गया 'अरवरी संसद्'।

अरवरी संसद् गठन के तुरन्त बाद अरवरी क्षेत्र के सभी 72 गाँवों के सर्व-सम्मत 162 सदस्यों की सूची बनाकर सबकी सहमति से न्यायमूर्ति श्री गुलाब सी. गुप्ता को सौंप दी गई; जिसे पढ़ कर उन्होंने मुख्य सचिव श्री मीठालाल मेहता को इसे नोटीफाइड करने के लिए दे दिया। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि राजस्थान सरकार ने उस सूची को आज तक भी नोटीफाइड नहीं किया।

इतना सब होने के बावजूद 1999 में बनी यह अरवरी संसद् स्थानीय स्तर पर सतत् रूप से अपना कार्य कर रही है। अरवरी संसद् के सदस्यों का चयन प्रत्येक गाँव की ग्राम-सभा ने दो प्रमुख विशेषताओं के आधार पर किया है-

1. जिन लोगों ने अरवरी नदी जलगम क्षेत्र में ग्राम-संगठन बना कर श्रमदान कर के जल, जंगल, जमीन व जंगली जीवों को बचाने का काम स्वयं किया हो।
2. दूसरे वे लोग, जिन्होंने जल-संरक्षण कार्यों के लिए लोगों को शिक्षण-प्रशिक्षण दे कर लोक-सहयोग व सहभाग बढ़ाने में योगदान दिया हो तथा पानी को शोषण, प्रदूषण व अतिक्रमण मुक्त बनाने हेतु ग्राम-सभाओं को सशक्त व सक्रिय करने का काम किया हो। अरवरी संसद् में इन दोनों तरह के लोगों को ही सर्व-सम्मति से सदस्य बनाया गया है।

अरवरी संसद् के सदस्यों की इस प्राथमिक सूची को भले ही राजस्थान सरकार ने नोटीफाइड न किया हो, लेकिन यह संसद् पिछले 15 सालों से विधिवत काम कर रही है। अभी तक इस संसद् के 30 अधिवेशन हो चुके हैं। संसद् के लिए निर्णयों की अनुपालना कराने का काम ग्राम-सभाएँ करती हैं; क्योंकि संसद् का मुख्य आधार ग्राम सभाएँ ही हैं। यह



अरवरी जल संसद् का 17वाँ अधिवेशन

संसद् रीति-नीति निर्माण करने के साथ-साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करती है। गाँवों के आपसी विवादों का निपटारा भी यह संसद् करती है तथा निर्णय का पालन कराने के लिए सम्बन्धित ग्राम सभा के पास भी जाती है।

अब तक हुए 30 अधिवेशनों में यह बात साफ़ हुई कि जहाँ भी जल-ज़रूरत पूरी करने हेतु निर्माण व रचनात्मक कार्य किये जायें, वहाँ पर मानव व प्रकृति के 'शुभ' हेतु अनुशासनात्मक उपयोग व प्रबन्धन करना भी ज़रूरी है। अरवरी संसद् की अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं प्रेरणादायी प्रबन्धन के कारण ही इस वर्ष कम वर्षा होने के बावजूद जून 2013 की भीषण गर्मी में भी समरा से कालेड़ व बस्सी तक यह नदी शुद्ध सदानीरा बन कर बहती रही है। अरवरी नदी का शुद्ध सदानीरा बन कर बहना, हमें सिखाता है कि यहाँ के समाज की सामुदायिक सोच, समझ, निर्णय तथा श्रम-निष्ठा से ही सजित हो कर देश के सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र राजस्थान को शुद्ध सदानीरा बना कर अरवरी नदी, जो सूखी व मरी हुई थी, फिर से बहने लगी है।

आज देश की हजारों छोटी-छोटी नदियाँ सूख व मर गई हैं। उनको भी अरवरी नदी की तर्ज़ पर ही पुनर्जीवित किया जा सकता है। नदी को पुनर्जीवित करने की मूल शर्त है-

1. बादलों की गोद से निकली हर बूँद (इन्द्रजल) को नदी क्षेत्र में जहाँ भी वह पड़े, वहीं पर पकड़ लेना और धरती के पेट में सुरक्षित रख देना; ताकि नज़र न लगे सूरज की। इसके अलावा धरती के पेट का पानी तथा इसके कारण बहते झरनों का शोषण करने व लूटने के लिए तत्पर राज्य सरकारों व उद्योग पतियों से बचा लेना भी एक ज़रूरी शर्त है।

अरवरी नदी में 1996 में पहली और आखिरी बार सरकार द्वारा मछली पकड़ने का ठेका ठेकेदारों को दिया गया। लेकिन लोगों के संगठित आंदोलन के कारण सरकार को अन्ततः ठेका रद्द करना पड़ा। यदि यहाँ के लोग संगठित हो कर अपने पानी व मछलियों को नहीं बचाते तो यह नदी भी देश की अन्य नदियों


की तरह प्रदूषित हो जाती। इस पर भी जब ठेकेदारों को गाँव वालों ने मछली नहीं पकड़ने दिया तो द्वेषवश उन्होंने नदी में विष युक्त खाद्य डाल कर मछलियों को मार दिया और नदी को प्रदूषित कर दिया था, लेकिन बाद में जब राजस्थान सरकार ने अपनी दूरदृष्टि और सूझबूझ का परिचय देते हुए ठेका रद्द कर दिया, तो इस समस्या से मुक्ति मिली। ठेका रद्द करके सरकार ने अरवरी संसद् को एक तरह से अलिखित मान्यता दे कर यह सिद्ध कर दिया कि सरकार नैतिक रूप से उनके साथ है। यह बात अलग है कि बाद में अलवर ज़िला कलैक्टर ने अरवरी संसद् के नव निर्मित भवन को तुड़वा कर अपनी पद-शक्ति का प्रयोग अवश्य किया था।

इतना सब होते हुए भी अरवरी सांसदों की सूझबूझ के कारण अरवरी संसद् की विधिवत कार्रवाई में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आई। संसद् सदस्य और संसद् के लोग उन पुरानी अप्रिय घटनाओं को याद कर के केवल दुःखी तो होते हैं, पर विचलित नहीं होते। बल्कि अब तो संसद् सदस्य और ज़्यादा तत्परता, समझदारी, संतोष और शान्ति के साथ काम करने लगे हैं। जल-सांसद (संसद्) साल में दो बार जून और दिसम्बर के महीने में-मिलते हैं। अपने छमाही अधिवेशन में ये ऐसे नियम व नीति बनाते हैं, जिन से सब को पानी पर समान अधिकार मिले तथा सब को पानी के प्रति ज़िम्मेदार बनने का भाव बना रहे। अरवरी संसद् व्यक्ति के ज़िम्मेदारी व हक़दारी के रिश्तों को जोड़ती है। इस संसद् में महिलाओं व पुरुषों की समान भागीदारी रहती है। संसद् 'नदी नीर व नारी' का सम्मान करती है; इसीलिए यहाँ पर आज भी सहज, सर्वसम्मत और निर्विरोध चुनाव प्रणाली प्रभावी है। इस संसद् ने ग्यारह प्रमुख नियम बनाये हैं जो इस प्रकार हैं:-

अरवरी संसद् दलगत राजनीति, साम्प्रदायिक भेदभाव, जात-पाँत और लिंग-भेद आदि से ऊपर उठ कर काम करती है। इस संसद् में लिए गये निर्णयों की पालना करना इस क्षेत्र की सभी ग्राम-सभाएँ अपनी ज़िम्मेदारी व हक़दारी समझती हैं। यह संसद् जल, जंगल, ज़मीन, फ़सल-चक्र व सिंचाई आदि से जुड़े कामों को साझे काम मान कर ही उनका प्रबन्धन कराती है।

अरवरी संसद् का इतिहास अभी बहुत छोटा है। 15 वर्ष पूर्व गठित इस संसद् में काम करने वाले लोग पिछले 28 वर्षों से संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 15 वर्षों से यह संसद् विधिवत् अपना काम कर रही है। लेकिन इस दौरान पानी के मुद्दे को ले कर कई विवाद भी होते रहे हैं। पहला विवाद राज्य सरकार द्वारा लोगों के श्रम से पुनर्जीवित हुई नदी में स्वतः उत्पन्न हुई मछलियों को मारने का ठेका देना। दूसरा विवाद उद्योगों व उद्योगपतियों द्वारा यहाँ के भू-जल भण्डारों का शोषण कर के पानी का व्यापार करना तथा तीसरा विवाद पानी के बँटवारे को लेकर समाज के ऊँच-नीच व छोटे-बड़े समुदायों में आपसी तनाव पैदा हो जाना।

इन सभी विवादों का समाधान यहाँ के लोगों ने अरवरी संसद् के माध्यम से स्वयं किया। अरवरी नदी में से मछलियाँ पकड़ने के ठेके को रद्द करवाने के लिए इस क्षेत्र के 72 गाँवों ने संगठित हो कर शान्तिपूर्ण तरीके से ठेकेदारों का विरोध किया। विवश हो कर सरकार को मछलियाँ पकड़ने हेतु दिया गया ठेका रद्द करना पड़ा।



अरवरी क्षेत्र (हमीरपुर) में लोगों के साथ मीटिंग

अरवरी नदी बाल-संसद

अरवरी संसद के वे सब पुराने सांसद, जिनके प्रयासों से अरवरी नदी ज़िन्दा हुई थी; अधिकांश स्वर्ग सिंघार गये हैं। अब इसे सम्भालने की ज़िम्मेदारी अगली पीढ़ी के कन्धों पर आ गई। इसलिए नदी को ज़िन्दा रखने के लिए अगली पीढ़ी को तैयार करना ज़रूरी हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए 'तरुण भारत संघ' ने अरवरी नदी जलागम क्षेत्र के सभी स्कूलों व कॉलेजों के विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति प्रेम का संस्कार पैदा करने का काम शुरू कर दिया है। इस हेतु हमने 20 अगस्त 2013 से प्रतापगढ़ के बाईसीवाला विद्यालय तथा आगर व भाँवता गाँवों में बाल-संसद निर्माण का कार्य शुरू किया है। बाल-संसद निर्माण के लिए विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के साथ लम्बी चर्चा कर के उनकी इच्छा व सहमति से ही 'नदी बाल-संसद' का गठन होता है। सभी विद्यार्थी अपनी-अपनी कक्षाओं से प्रतिनिधि चुन कर बाल-संसद में भेजते हैं। चयनित सांसद 'अरवरी संसद' पुस्तक को पढ़कर जानकारी इकट्ठी करते हैं; फिर रूपरेखा बना कर संसद कार्य में जुट जाते हैं।

2 अक्टूबर 2013 को इन सभी विद्यालयों की बाल-संसद तरुण आश्रम, भीकमपुरा में एकत्र हुई; जहाँ अलग-अलग नदियों की 'बाल-संसदों' ने मिल कर अपनी-अपनी नदियों की एक-एक 'क्षेत्रीय नदी बाल-संसद' बनाई। अरवरी नदी क्षेत्र के 72 गाँवों ने अपनी जनसंख्या व भू-क्षेत्र के अनुपात में प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया। इस बाल-संसद की निर्माण प्रक्रिया में कन्हैया लाल, छोटे लाल, सुरेश रैंकवार, रेनू सिसोदिया व मौलिक सिसोदिया की सक्रिय भूमिका है।

आगर गाँव के विद्यालय में बाल-संसद निर्माण



अरवरी जल-संसद् – ग्रामीण समाज का अभिनव प्रयोग

के.जी. व्यास

अरवरी जल संसद् की कहानी एक छोटी-सी गुमनाम सदानीरा नदी के सूखने और उसके फिर से ज़िन्दा होने की कहानी है, इसलिये पहले इस कहानी से जुड़े घटनाक्रम को समझ लें, फिर पानी और समाज के रिश्तों को जनतांत्रिक स्वरूप देने वाली उन परिस्थितियों की बात करें, जो वांछित परिणाम देने या सूखी नदी को ज़िन्दा करने के लिये ज़िम्मेदार हैं। इस कहानी का विस्तृत विवरण तरुण भारत संघ द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'अरवरी संसद्' में दिया है। नीचे वर्णित विवरण उसी पुस्तक से लिया गया है। विवरण के अनुसार -

1. अठाहरवीं सदी में अरवरी नदी राजस्थान के अलवर ज़िले में प्रतापगढ़ नाले के रूप में पहचानी जाती थी। उस समय इसके कैचमेंट में घने जंगल थे। लोग पशुपालन करते थे और पानी की माँग बहुत कम थी।
2. समय बदला, परिवार बढ़े और बढ़ती खेती ने जंगल की ज़मीन को निगलना शुरू किया। इस बदलाव ने पानी की खपत को बढ़ाया। बढ़ती खपत ने ज़मीन के नीचे के पानी को लक्ष्मण-रेखा पार करने के लिये मज़बूर किया।
3. अरवरी नदी के सूखने की कहानी झिरी गाँव से शुरू होती है। इस गाँव में सन् 1960 के आसपास संगमरमर की खदानों से संगमरमर निकालने (खुदाई) का काम शुरू हुआ। खदानों के शुरू होने के कारण जंगल भी कटे। संगमरमर की खुदाई जारी रखने के लिये खदानों में जमा पानी को लगातार निकाला गया। इस प्रक्रिया ने पानी की कमी को आगे बढ़ाया। अरवरी नदी सन् 1960 के बाद के सालों में सूख गई। झिरी गाँव में पानी का संकट गहराया और धीरे-धीरे संकट आसपास के गाँवों में भी फैल गया।

4. जल संकट के कारण, प्यासे पशुओं को आवारा छोड़ने की परिस्थितियाँ बनने लगीं और रोज़ी रोटी के लिये नौजवान लोग जयपुर, सूरत, अहमदाबाद व दिल्ली की ओर पलायन करने लगे। बचे-खुचे परेशान लोगों ने विधान-सभा के सामने धरना दिया और मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई। समस्या का निदान नहीं मिलने के कारण उनकी आस टूटी और निराशा हाथ आई।
5. इसी कठिन समय में स्वयं सेवी संस्था (तरुण भारत संघ) ने इस इलाक़े को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। गाँव के बड़े बूढ़ों ने उनसे पानी का काम करने को कहा। जोहड़ बनाने का काम शुरू हुआ और फिर एक के बाद एक जोहड़ बनाते गये। ये सब जोहड़ छोटे-छोटे थे और पहाड़ियों के नीचे की ज़मीन पर बनाये गये थे। पहली ही बरसात में उनमें पानी जमा हो गया। यद्यपि अरवरी नदी सूखी रही, पर कुओं में पानी लौटने लगा और लौटते पानी ने लोगों की आस भी लौटाई। सफलता ने लोगों को रास्ता दिखाया और उन्हें एकजुट किया।
6. सन् 1990 में अरवरी नदी में पहली बार, अक्टूबर माह तक पानी बहता दिखा। इस घटना से लोगों का भरोसा मज़बूत हुआ और उनके हौसलों को नई ताक़त मिली। काम और आगे बढ़ा तथा सन् 1995 के आते आते पूरी अरवरी नदी ज़िन्दा हो गई। तब से अब तक वह नदी सदानीरा है।
7. लोगों के मन में सवाल कौंधने लगे - अरवरी नदी को आगे भी सदानीरा कैसे बनाये रखा जावे ? यदि सही इन्तज़ाम नहीं किया तो क्या नदी फिर सूख जायेगी ? इसलिये, गाँव वालों ने अरवरी नदी के पानी को साफ़-सुथरा बनाये रखने तथा नदी के जीव जन्तुओं को बचाने और कैचमेंट के जंगल को सुरक्षित रखने के बारे में खूब सोच-विचार किया तथा ज़रूरी क़दम उठाये।
8. सन् 1996 में राजस्थान सरकार के मछली पालन विभाग ने अरवरी नदी में स्वतः पनप रही मछलियों को मारने का ठेका दे दिया। लोग आन्दोलित

हो उठे और उन्होंने सरकार और प्रशासन के सामने अपना विरोध दर्ज कराया।

9. नवम्बर 1996 में 'जलचर बचाओ आन्दोलन' हुआ। सरकारी ठेकेदार ने फरवरी एवं जून 1997 में अरवरी नदी के पानी में ज़हर डालकर मछलियों की सामूहिक हत्या की। इस घटना ने उद्वेलित लोगों को संगठित किया। उन्होंने पुलिस में रपट लिखाई, पर अपराधियों को छुड़ा घूमते देख गाँव के लोगों ने अपनी निगरानी व्यवस्था बनाई। दोषियों को पकड़ा तथा उन्हें दंडित किया।

उपर्युक्त हालातों ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि क्या गाँव जिस प्रकृति के साथ ज़िन्दा रहता है, जिसे अपनी मेहनत से संरक्षित और ज़िन्दा रखता है; जिसके साथ उसका पीढ़ी दर पीढ़ी का रिश्ता है; उस पर स्थानीय समाज का कोई अधिकार नहीं है ? इस मुद्दे पर देश भर के विद्वानों और पढ़े लिखे लोगों की राय जानने के लिये अरवरी नदी के किनारे बसे हमीरपुर गाँव में 19 दिसम्बर, 1998 को 'जन सुनवाई' कराने का फैसला हुआ। इस सुनवाई में 'विश्व जल आयोग' के तत्कालीन आयुक्त श्री अनिल अग्रवाल, राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव एम. एल. मेहता, हिमाचल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुलाब सी. गुप्ता, राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति टी. के. उन्नीथान, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के तत्कालीन सचिव एस. रिज़वी जैसे अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। तरुण भारत संघ के अरुण तिवारी कहते हैं कि इस जन-सुनवाई में मुद्दई, गवाह, वकील, जज, विचारक, नियंता सब मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जस्टिस गुलाब सी. गुप्ता ने की। गाँव वालों ने बाहर से आये लोगों को ध्यान से सुना और अपनी बेबाक़ राय ज़ाहिर की।

अनिल अग्रवाल ने जन-सुनवाई के दौरान कहा कि "सरकार चाहे नदी, प्रकृति और समाज के हित में क़ानून बनाए या न बनाए; अरवरी नदी और उसके किनारे के 70 गाँवों का समाज यदि जीवंत और टिकाऊ बना रहना चाहता है, तो वह पानी-प्रकृति के उपयोग और नित्य जीवन में संयम के अपने क़ानून

बनाये और खुद ही उनकी पालना भी करे। नदी और उसका पर्यावरण हमारी जीवन-रेखा है। हमें इन्हें बचाये रखना है। इन्हें बचाने के लिये नेताओं वाली संसद् की ओर ताकना छोड़कर अरवरी तट के 70 गाँव मिलकर अपनी जल संसद् का गठन करें। हर गाँव से आबादी के अनुसार सांसद चुनें। यह चुनाव सर्वसम्मति से हो। स्थानीय ग्राम-सभाएँ तथा अरवरी संसद् मिलकर आम सहमति से इसके लिये क़ानून-दस्तूर बनायें। उसी के अनुसार अरवरी का जल प्रबन्धन व संवर्धन हो। 'जल संसद्' के निर्णय सर्वसम्मति व सर्वमान्य हों। ध्यान रहे कि संसदीय व्यवस्था, इन निर्णयों की पालना सुनिश्चित करने की ही व्यवस्था है। ऐसे में समाज तो अरवरी संसद् के क़ानूनों व दस्तूरों की पालना करेगा ही, एक दिन सरकार को भी इनकी पालना करनी पड़ेगी।" बैठक में मौजूद बहुत सारे लोगों ने भी अपनी-अपनी बात कहीं।

कार्यक्रम के अध्यक्ष जस्टिस गुलाब सी. गुप्ता ने 'जन सुनवाई' के दौरान अपने फ़ैसले में कहा कि -

“जहाँ तक पानी पर अधिकार की बात है, अधिकार माँगना गाँव वालों का हक़ तो हो सकता है पर ऐसा क़ानून नहीं है। क़ानूनी हिसाब से गाँव वालों की माँग नाजायज़ है। इस तरह तो कोई भी व्यक्ति या संस्था ज़मीन और पानी का संरक्षण करके हक़ माँग सकती हैं; लेकिन वर्तमान क़ानूनों के तहत उन्हें इसका हक़ नहीं दिया जा सकता”।

तरुण भारत संघ के अरुण तिवारी कहते हैं- “भारतीय क़ानून की किताब इसे नाजायज़ मानती है, लेकिन क्या नीति और लोकतंत्र का वह आधार भी इसे ग़लत मानता है, जिस पर भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई है। इसलिये जन सुनवाई के दौरान राय बनी कि क़ानून और सरकार चाहे कुछ भी कहे, पर नीति यही कहती है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अतः पहला हक़ उसी का है। पहले वही उपभोग करे, उसी का मालिकाना हक़ हो। सरकार और क़ानून को चाहिये कि वह भी इसी नीति का अनुसरण करे। इसे प्राथमिकता दे। क़ानून को इंसान बनाता है न कि इंसान को क़ानून। अतः ऐसे

खिलाफ़ क़ानून जो समाज हितैषी नहीं हों, उन्हें बदल डालें। आखिर हम सरकारों को भी तो बदलते ही रहते हैं न।”

अरुण तिवारी द्वारा अरवरी संसद् पर सम्पादित पुस्तक ‘अरवरी संसद्’ के पेज 23 पर लिखा है कि गाँव, समाज, अतिथि और जन-सुनवाई के निर्णायक जस्टिस गुलाब सी. गुप्ता आदि सभी ने मिलकर औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर अरवरी नदी संसद् के गठन पर अपनी मोहर लगा दी। यह निर्णय अरवरी नदी के गाँव वालों के लिये रामबाण बन गया और उनका बचाखुचा सन्देह भी मिट गया। उन्हें पता चल गया कि वे सही हैं। क्योंकि इतने नामी गिरामी लोगों की मौजूदगी में आम सहमति से संसद् बनाने का फैसला हुआ था। गाँव वालों के पास अहिंसा और संयम की शक्ति पहले से ही थी; अब नया उत्साह था नया रास्ता ! नया सपना !!

26 जनवरी 1999, मंगलवार को सबेरे 11 बजे प्रसिद्ध गांधीवादी सर्वोदयी नेता सिद्धराज ढड्डा, जिन्होंने सन 1977 में लोकसभा की अध्यक्षता ठुकराई थी, की अध्यक्षता में हमीरपुर गाँव में संकल्प ग्रहण समारोह आयोजित हुआ और 70 गाँवों की ‘अरवरी संसद्’ अस्तित्व में आई। सब लोग समझ रहे थे और अनुभव भी कर रहे थे कि अरवरी संसद्, हकीकत में एक ज़िन्दा नदी की जीवन्त संसद् है। इसलिये यदि नदी है तो संसद् है, यदि नदी नहीं, तो संसद् भी नहीं। उन्होंने अपनी संसद् के निम्नानुसार उद्देश्य तय किये -

- प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन करना
- समाज की सहजता को तोड़े बिना अन्याय का प्रतिकार करना
- समाज में स्वाभिमान, अनुशासन, निर्भयता, रचनात्मकता तथा दायित्वपूर्ण व्यवहार के संस्कारों को मज़बूत करना
- स्वावलम्बी समाज की रचना के लिये आवश्यक विचार-बिन्दुओं को लोगों के बीच ले जाना
- निर्णय प्रक्रिया में समाज के अन्तिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करना

ग्राम सभा की दायित्वपूर्ति में संसद् सहयोगी की भूमिका अदा करेगी, लेकिन जहाँ ग्राम-सभा तमाम प्रयासों के बावजूद निष्क्रिय ही बनी रहेगी वहाँ संसद् स्वयं पहल करेगी।

अरवरी संसद् के दायित्व निम्नानुसार हैं -

- संसद् में अपनी ग्राम-सभा का नियमित तथा सक्रिय प्रतिनिधित्व करना
- ग्राम-सभा तथा संसद् दोनों के कार्यों, निर्णयों तथा प्रगति से एक दूसरे को अवगत कराना तथा उनका लागू होना सुनिश्चित करना
- ग्राम सभा के कार्यों एवं समस्याओं के समाधान में दूसरी ग्राम-सभाओं से सहयोग लेना एवं सहयोग देना।

अरवरी नदी का सांसद कौन होगा -

- गाँव की ग्राम-सभा द्वारा संसद् में प्रतिनिधित्व के लिये चुना गया व्यक्ति सांसद होगा। ध्यान रहे कि उल्लेखित ग्राम-सभा सरकारी चुनाव वाली ग्राम पंचायत की ग्राम-सभा से पूरी तरह भिन्न संगठन है। यह ग्राम-सभा प्रकृति और समाज के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से बनाई गई एक साझी व्यवस्था है। इसे पंचायत से नहीं जोड़ा जा सकता।
- अरवरी सांसद का चुनाव सर्वसम्मति से हो, इसे प्राथमिकता दें। अपरिहार्य स्थिति में भी चयनित प्रत्याशी को ग्राम-सभा के कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों का समर्थन अवश्य प्राप्त होना चाहिये।
- सांसद की निष्क्रियता अथवा अन्य कारणों से असन्तुष्ट होने पर, ग्राम-सभा चाहे तो उसे दायित्वमुक्त कर सकती है। उसकी जगह ग्राम-सभा जो नया सांसद चुनकर भेजेगी, संसद् को वह स्वीकार्य होगा; लेकिन यदि संसद् ग्राम-सभा को पुनर्विचार के लिये कहेगी, तो ग्राम सभा को पुनर्विचार करना होगा।



ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स अरवरी का जल-प्रबन्धन देखने आए




पारावाला बाँध (साँवतसर)




अरवली नदी जलागम क्षेत्र में तरुण भारत सघ द्वारा जन-सहभागिता से निर्मित जल-संरक्षण-संरचनाएँ

(वर्ष 1985 से मार्च 2014 तक)

तहसील-थानागाजी, जिला-अलवर (राजस्थान)



भारत



राजस्थान
उत्तर
दक्षिण
पूर्व
पश्चिम

पमाना : 1 : 170000
1000 मी 500 0 1 2 3 किलोमीटर

महत्वपूर्ण बिन्दु

- कुल जलागम क्षेत्र - 492 वर्ग किलोमीटर
- नदी की कुल लम्बाई (पुनः संशुद्धि) - 45 किलोमीटर
- उदयगम से संगम तक सीधी दूरी (खल न संकेत) - 35 किलोमीटर
- उदयगम की सर्वोच्च ऊँचाई (खल न संकेत) - 710 मीटर (समुद्र तल से)
- उदयगम खल पर धरातल की ऊँचाई (खल न संकेत) - 479 मीटर (समुद्र तल से)
- संगम खल पर धरातल की ऊँचाई (खल न संकेत) - 335 मीटर (समुद्र तल से)
- कुल जल-संरक्षण संरचनाएँ - 402
- स्थानीय अंतरा-वार्षिक वर्षा - 600 मिली मीटर



(काम के बाद)



(काम के पहले)



(काम के बाद)

संकेत

- जल-संरक्षण-संरचनाएँ
- नदी-नाले, जोहड़
- गाँव (आबादी)
- जलागम सीमा
- अक्षांश व देशान्तर रेखाएँ
- राज्य



भाँवता के प्रारम्भिक सक्रिय ग्रामवासी



महिला घाट के पास का कुआँ (कोळ्याळा-भाँवता)

1999 के गणतन्त्र दिवस को अस्तित्व में आई अरवरी संसद् ने तब से लेकर आज तक पीछे मुड़ कर नहीं देखा। उसकी नियमित बैठकें होती हैं, फ़ैसले होते हैं और उनका क्रियान्वयन होता है।

विभिन्न विभागों का सरकारी अमला प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन के कामों पर अनेक सालों से काम कर रहा है। तकनीकी रूप से उपलब्ध सक्षम सरकारी अमले और भारी भरकम बजट के बाद भी नदी नालों का सूखना लगातार बढ़ रहा है। इसलिये अनेक लोगों को लगता है कि नदी को ज़िन्दा करना और उसे निरन्तर ज़िन्दा बनाये रखना बहुत ही कठिन काम है। ऐसे में यह देखना और समझना दिलचस्प होगा कि अरवरी नदी को ज़िन्दा करने वाली गाँव वालों की यह संसद् किस तरह के कामों को महत्त्व देती है और कौन से विषय उसकी प्राथमिकता पर हैं। पहले दिन से ही लोगों के एजेण्डे पर निम्न विषय हैं—

1. लोगों ने अरवरी नदी से सिंचाई करने के नियम बनाये। इन नियमों को बनाते समय स्थानीय परिस्थितियों एवं नदी घाटी के भू-जल विज्ञान को भलीभाँति समझा गया। इसी समझ के आधार पर लोगों को लगा कि नदी के चट्टानी क्षेत्र में स्थित होने के कारण, उसके एकीफर उथले तथा भू-जल पुनर्भरण क्षेत्र छोटा है; इसलिये थोड़ा-सा पुनर्भरण होते ही उसका जल-भण्डार भर कर ऊपर बहने लगता है। इस हकीकत का अर्थ है नदी जितने जल्दी बहना शुरू होती है उतने ही जल्दी सूखती भी है। इसलिये तय हुआ कि होली के बाद नदी से सीधा पानी उठा कर सिंचाई नहीं की जायेगी। होली तक सरसों और चने की खेती करने वाले किसानों को नदी से पानी उठाने की अनुमति होगी। पशुओं के पीने के पानी और नये पौधों की सिंचाई के लिये कोई बन्दिश नहीं होगी।
2. लोगों ने कुओं से सिंचाई के नियम भी बनाये। इन नियमों को बनाते समय उन्होंने स्थानीय एकीफर की स्थिति और उसकी क्षमता को अनुभव की रोशनी में समझा। उन्हें लगा कि चूँकि यह पूरा इलाका भू-जल की

छोटी-छोटी धाराओं पर टिका है; इसलिये यहाँ ज़्यादा गहरे कुएँ या नलकूप बनाना ठीक नहीं है। अरवरी नदी के साल भर बहने की प्रक्रिया का विश्लेषण आर. एन. अठावले, पूर्व वैज्ञानिक राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसन्धान संस्थान, हैद्राबाद ने किया है। अरवरी संसद् ने इसी विश्लेषण के आधार पर आवश्यक क़ानून बनाये और तय किया कि नदी के दो से तीन प्रतिशत पानी का ही उपयोग किया जावे। उन्होंने पानी की कम खपत वाली फ़सलों को पैदा करने पर ज़ोर दिया। रासायनिक खाद और ज़हरीली दवाओं के कम से कम उपयोग का फ़ैसला लिया। गन्ना, मिर्च और चावल जैसी अधिक पानी वाली फ़सलें नहीं लेने और न ही लेने देने का इन्तज़ाम किया। उपर्युक्त फ़सलों को ज़बरन लेने वाले लोगों को जोहड़, कुएँ या नदी से पानी नहीं लेने देने का नियम बनाया। पानी की बरबादी रोकनी और गर्मी की फ़सलें नहीं लीं। उन्होंने पशुओं के लिए अधिक से अधिक चारा उगाया और चारे की सिंचाई के लिये पानी का उपयोग सुनिश्चित कराया।

3. संसद् ने पानी की बिक्री पर रोक लगाई। संसद् ने तय किया कि नदी पर इंजन लगाकर कोई भी व्यक्ति पानी की बिक्री नहीं करेगा। पानी का उपयोग व्यावसायिक काम में नहीं होगा। अधिक गहरी बोरिंग करने और उसके पानी को बाहर ले जाने पर रोक रहेगी। पानी की बिक्री करने वाले उद्योग नहीं लगने देंगे। गरीब आदमी को पानी की पूर्ति निःशुल्क की जावेगी। गरीब को केवल बिजली या डीजल और इंजन की घिसाई का दाम ही देना होगा। पानी की क़ीमत लेना दंडनीय अपराध होगा।
4. संसद् ने उद्योगपतियों और भूमि उपयोग बदलने वाले बाहरी व्यक्तियों को ज़मीन बेचने पर भी रोक लगाई। क्योंकि संसद् को लगता है कि ऐसा करने से बदहाली, प्रदूषण, बीमारी और बिखराव होगा। इसलिये ज़मीन की बिक्री आपस में ही की जावेगी और ज़मीन की बिक्री का रुज़ान रोकने का भरसक प्रयास किया जावेगा।

5. अरवरी संसद् के निर्णय के अनुसार अधिक जल-दोहन करने वालों का पता लगाया जायेगा और उन्हें नियंत्रित किया जायेगा। लोगों ने फ़ैसला किया कि वे अपने इलाके में पानी का अधिक उपयोग करने वाले कल-कारखाने नहीं लगने देंगे। अतिदोहन को शुरू होने के पहले ही रोकेंगे और अतिदोहन पर हर समय निगाह रखेंगे।
6. अरवरी संसद् के निर्णय के अनुसार जो व्यक्ति धरती को पानी देगा, वही धरती के नीचे के पानी का उपयोग कर सकेगा। राजस्थान की गर्म जलवायु में पानी का बहुत अधिक वाष्पीकरण होता है; इसलिये पानी को वाष्पीकरण से बचाने के लिये उसे बरसात के दिनों में ज़मीन के नीचे उतारना होगा। स्थानीय एक्चूफर की क्षमता और व्यक्ति की पानी की ज़रूरत में तालमेल रखने वाले सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा। इसके अलावा जो जल-पुनर्भरण का काम करेगा उसे पुनर्भरण नहीं करने वाले की तुलना में अधिक पानी लेने का अधिकार होगा। इस अधिकार की सीमा पुनर्भरण का 15 प्रतिशत होगा। गाँव के लोग और संसद् मिलकर एक्कीफर की क्षमता का अनुमान लगाने का काम करेंगे और क्षमता के अनुसार पुनर्भरण के काम को अंजाम देंगे।
7. अरवरी संसद् ने नदी घाटी के जीव जन्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अरवरी नदी क्षेत्र को 'शिकार वर्जित क्षेत्र' घोषित किया है। संसद् ने हर गाँव वाले को जागरूक और प्रशिक्षित करने, शिकार प्रभावित इलाके की पहचान करने और 'जंगल, जीव बचाओ अभियान' चलाने की ज़िम्मेदारी सौंपी है।
8. अरवरी संसद् के सांसदों ने अपने क्षेत्र में बाज़ार-मुक्त फ़सल उत्पादन के नियम तथा स्थानीय ज़रूरत पूरा करने वाली व्यवस्था पर विचार कर फ़ैसला लिया कि क्यों न हम अपनी आवश्यकता की चीज़ें खुद पैदा करें, अपना बाज़ार खुद विकसित करें और आपस में लेनदेन करें। ऐसा करने से गाँव का पैसा गाँव में रहेगा और खुशहाली भी आयेगी। गाँव

वालों का मानना है कि आज किसान का सबसे ज़्यादा शोषण बाज़ार ही कर रहा है। इस शोषण के कारण किसान को अपनी मेहनत का सौवाँ हिस्सा भी नहीं मिल पाता है। किसान की सारी आमदनी बीज, दवाई, खाद, फ़सल बुआई तथा कटाई में ही खर्च हो जाती है। वे मानते हैं कि नये बीज शुरू में तो अधिक पैदावार देते दिखते हैं पर बाद में ज़मीन की उर्वरा शक्ति को कम कर देते हैं।

9. अरवरी संसद् ने नदी क्षेत्र में हरियाली और पेड़ बचाने का फैसला किया है। इस काम को पूरा करने के लिये उसने क़ायदे क़ानून बनाये हैं। उन्होंने गाँवों की साज़ा ज़मीनों और पहाड़ों को हरा-भरा रखने के लिये बाहरी मवेशियों की चराई पर बन्दिश लगाई है। उन्होंने हरे वृक्ष काटने पर पाबन्दी, दिवाली बाद पहाड़ों की घास की कटाई करने, गाँव गाँव में गोचर विकास करने, नंगे पहाड़ों पर बीज छिड़काव करने, लकड़ी-चोरों पर नियंत्रण करने, स्थानीय धराड़ी परम्परा को फिर से बहाल करने, क्षेत्र में ऊँट, बकरी और भेड़ों की संख्या कम करने तथा नई खदानों और प्रदूषणकारी उद्योगों को रोकने का फैसला लिया है। उनका मानना है कि इन क़दमों से उनके इलाक़े की हरियाली बढ़ेगी और नदी बारहमासी बहती रहेगी।
10. अरवरी नदी के सांसदों के अनुसार नदी क्षेत्र में चल रहे खनन के कारण गाँव के कुछ लोगों को रोज़गार मिलता है, पर बाद में ज़मीन और पानी बरबाद हो जाता है। अतः दोनों को बचाने की जुगत करनी चाहिये। इसके लिये उनकी संसद् ने नियम बनाया कि क्षेत्र में खदानें बन्द कराने का प्रयास किया जाये, खदान के मालिकों से बातचीत कर समस्या का हल खोजा जाये और खनन के कारण बरबाद इलाक़े को दुरुस्त किया जाये।
11. अरवरी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में प्राकृतिक संरक्षण की बहुत अच्छी एवं जीवन्त परम्पराएँ यथा धराड़ी, थाँई, देवबनी, देवअरण्य, गोचर तथा

मछली और चींटियों की सुरक्षा आदि हैं। अरवरी संसद् ने इन परम्पराओं के अनुसार प्रकृति संरक्षण परम्पराओं का पता लगाकर प्रकृति के हित में उन्हे पुनः जीवित करने का फ़ैसला लिया।

12. सांसदों ने जल-स्रोतों के उचित प्रबन्धन में संसद् और ग्राम सभाओं की भूमिका तथा उनके उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिये स्थायी व्यवस्था को क़ायम किया; ताकि देखभाल की कमी से गाँवों की साझा प्राकृतिक सम्पदा बरबाद नहीं हो। इसके लिये उन्होंने पूरी जागरूकता और समझदारी से विकेन्द्रित, टिकाऊ और स्वावलम्बी व्यवस्था क़ायम की। इसके लिये उपर्युक्त नियम और क़ायदे बनाये हैं और उन्हें पूरी तरह लागू किया है।

सत्याग्रह मीमांसा (अंक 169, जनवरी 2000) में छपे लेख में प्रख्यात गांधीवादी नेता स्व. सिद्धराज ढड्डा ने अरवरी जल-संसद् पर अपनी प्रतिक्रिया में लिखा था कि “अरवरी नदी की स्थापना और उसके कार्य का महत्त्व केवल अरवरी नदी के पानी के उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आधुनिक जनतंत्र के इतिहास का एक अभिनव प्रयोग है। सांसद चुनने के अलावा, जनतंत्र के संचालन में जनता की और कोई भूमिका नहीं रही है। इसके कारण, जनतंत्रीय व्यवस्था दिनों दिन कमज़ोर हो गई है। जनतंत्र की सफलता के लिये उसकी प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। जनशक्ति जितनी मजबूत होगी, जनतंत्र उतना मजबूत होगा। आज की संसद् के निर्णयों तथा उनके बनाये हुये क़ानूनों की पालना का अन्तिम आधार पुलिस, फ़ौज, अदालतें और जेल हैं। ‘अरवरी संसद्’ के पास अपने निर्णयों की पालना के लिये ऐसे कोई आधार नहीं हैं न ही होना चाहिये। जन-संसदों का एकमात्र आधार लोगों की एकता, अपने वचन पालन की प्रतिबद्धता एवं परस्पर विश्वास है। यही जनतंत्र की वास्तविक शक्तियाँ हैं। अतः अरवरी संसद् का प्रयोग केवल अरवरी क्षेत्र के लिये ही नहीं, जनतंत्र के भविष्य के लिये भी महत्त्वपूर्ण है।”

दूसरी टिप्पणी केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की है। इस टिप्पणी में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने अपने 25 सितम्बर, 2006 को तरुण भारत संघ के राजेन्द्र सिंह को लिखे पत्र में उल्लेख किया था कि “अरवरी संसद् पर लिखी पुस्तक को पढ़कर गाँव-समाज के लोग जल को समझ कर सहेजने में जुटेंगे तथा पानी के प्रदूषण और लूट को रोकने के लिये अरवरी नदी क्षेत्र की जनता की तरह दूसरी नदी घाटियों में भी ऐसा काम शुरू होगा। हमारी सरकार भी इससे सीखेगी।”

अरवरी जल-संसद् की कहानी, राजस्थान के एक पिछड़े इलाके में कम पढ़े लिखे संगठित लोगों द्वारा अपने प्रयासों एवं संकल्पों की ताकत से लिखी कहानी है। इस कहानी में देश में लागू जलनीति और समाज की अपेक्षाओं का यदि टकराव दिखता है तो यह कहानी काफ़ी हद तक समाज और पानी के योग-क्षेम की जीवन्त कहानी भी है। यह कहानी प्रकृति के पुनर्वास, लाभप्रद खेती और आजीविका का बीमा और सरकारों तथा प्रबन्धकों के लिये लाईटहाउस भी है। तकनीकी और जनतांत्रिक संगठनों के लिये इसमें सीखने के लिये बहुत कुछ है।

लेखक का मानना है कि देश में पानी से जुड़े बहुत से विषयों पर भारी मतभेद हैं और अनेक मुद्दों पर मुश्किलें भी हैं, बावजूद इसके अरवरी नदी के किनारे बसे 70 गाँवों के लोगों ने अपने फैसलों से बहुत-सी मुश्किलों को आसान किया है। इन लोगों की एकजुटता और इच्छाशक्ति, वास्तव में देश के लाखों लोगों की प्रेरणा का स्थायी स्रोत है; जो पानी से जुड़े, देश के अनेक क़ानूनों को मानवीय चेहरा प्रदान करने का सन्देश देती है।

के. जी. व्यास


पूर्व सलाहकार

राजीव गान्धी जल ग्रहण मिशन. म.प्र.

73, चाणक्यपुरी, चूना भट्टी, भोपाल

09425693922


Kgvyas_jbp@rediffmail.com




अरवरी नदी के किनारे हमीरपुर ग्रामवासी



अरवरी नदी - हमीरपुर (पुल के पास)



भाँवता ग्रामवासियों को सम्बोधित करते हुए कर्नाटक के श्री एच.के. पाटिल



महिला घाट

1. SN/1005

अधिका...

संघीय भारत संस्था

श्री राजेश्वरी बाई

18, Panchsri

सि. अ. अ. अ. अ. अ.

विषय: नवीन मंडल के निर्माण के बारे में

-x-

उपरोक्त विषय में प्रस्ताव सं. 1005/96 का निर्माण विभाग को आदेशित कर आदेशित कर दि. 30/11/96 को भेजा था जो अभी तक नहीं मिला

मैंने श्री अ. अ. अ. अ. अ. के अधिकारी, श्री अ. अ. अ. अ. अ. के अधिकारी को इस संबंध में प्रश्न किया है कि क्या प्रस्ताव को अंतिम रूप में प्रेषित किया जा रहा है। यदि नहीं तो कारण बताएं।

आपका उत्तर जल्द ही मिलेगा।

- (i) नवी मंडल (संयोजक) में प्रस्ताव सं. 1005/96 का निर्माण विभाग को आदेशित कर दि. 30/11/96 को भेजा था जो अभी तक नहीं मिला।
- (ii) मैंने श्री अ. अ. अ. अ. अ. के अधिकारी, श्री अ. अ. अ. अ. अ. के अधिकारी को इस संबंध में प्रश्न किया है कि क्या प्रस्ताव को अंतिम रूप में प्रेषित किया जा रहा है। यदि नहीं तो कारण बताएं।
- (iii) श्री अ. अ. अ. अ. अ. के अधिकारी, श्री अ. अ. अ. अ. अ. के अधिकारी को इस संबंध में प्रश्न किया है कि क्या प्रस्ताव को अंतिम रूप में प्रेषित किया जा रहा है। यदि नहीं तो कारण बताएं।
- (iv) श्री अ. अ. अ. अ. अ. के अधिकारी, श्री अ. अ. अ. अ. अ. के अधिकारी को इस संबंध में प्रश्न किया है कि क्या प्रस्ताव को अंतिम रूप में प्रेषित किया जा रहा है। यदि नहीं तो कारण बताएं।
- (v) श्री अ. अ. अ. अ. अ. के अधिकारी, श्री अ. अ. अ. अ. अ. के अधिकारी को इस संबंध में प्रश्न किया है कि क्या प्रस्ताव को अंतिम रूप में प्रेषित किया जा रहा है। यदि नहीं तो कारण बताएं।
- (vi) श्री अ. अ. अ. अ. अ. के अधिकारी, श्री अ. अ. अ. अ. अ. के अधिकारी को इस संबंध में प्रश्न किया है कि क्या प्रस्ताव को अंतिम रूप में प्रेषित किया जा रहा है। यदि नहीं तो कारण बताएं।

मैंने श्री अ. अ. अ. अ. अ. के अधिकारी, श्री अ. अ. अ. अ. अ. के अधिकारी को इस संबंध में प्रश्न किया है कि क्या प्रस्ताव को अंतिम रूप में प्रेषित किया जा रहा है। यदि नहीं तो कारण बताएं।

पत्राचार (संयोजक)



तरुण भारत संघ

तरुण भारत संघ

TARUN BHARAT SANGH

भोक्तपुरा-किसोरी धामा धानागाजी
301022 (अलवर) राजस्थान

Bhoosampura-Kishori
Vis-Thansgazi-301022
Alwar (Raj.) India

Ref. No. _____

Date _____

जौमान मत्स्य परिशीलना उपाधीकारी
अलवर (राजस्थान)

संदर्भ - पत्रांक 1006 दिनांक 21/2/96

विषय - नदी कालेड़ में मत्स्य आरक्षक के काममें।

प्रतीकार -

संदर्भ वर्णित पत्र मिली पढ़कर सात हुआ कि आप हगोरपुर क्षीरक्षय के लिख गए थे, यह बात प्राप्त होगी कि वे ब्रह्म में भी पता चली। लेकिन यह बात रामक में नहीं आया कि आपने हमसे मिले बिना ही हमारे सेत राज का पता कैसे लगाया? हमारी जामूली सी संस्था है, इसके सेत राज का सरकार के सामने क्या भूमिगत है? क्योंकि हम भी सरकार के नियमों से बंधे हैं और सरकार के अनुरोध ही काम करना ही हमारी योजनाएं एवं अभियान हैं। इसके साथ ही निम्न तथ्य भी आपका ध्यान आटता है।

- ① नदी कालेड़ सरकारी रिपोर्ट में अरबरी नदी के नाम से जानी जाती है।
- ② यह नदी गत लगभग लगभग से सूखी रहती थी। केवल वर्ष के दिनों में पानी बहता था।
- ③ इस नदी के दोनों तटों के हुए खरब गए थे।
- ④ हगोरपुर तट किरी गौड़ के पौध जल संकट खूबसे सात है। राज्य तट गोरू के अखबारों में भी सूखे व पानी की कमी के समझाकर परम्परा के साथ दर्ज रहे हैं।
- ⑤ जल संकट वर्षों से यह नदी सूखी में स्वयं देख रहा है।
- ⑥ जल प्रदूषण क्षेत्र में लोगों के सहयोग से जल संकट को जल जोड़/बांध/लायनेट पिछले भारत वर्ष से जल रहती है।
- ⑦ मैंने पिछले ग्यारह वर्षों में जल क्षेत्र में कभी किसी क्षीरक्षरी को मत्स्य आरक्षक करते नदी देवा है, क्योंकि यह नदी सूखी रहती थी।

- 7) इस क्षेत्र के लिये जल, जंगल जमीन के संरक्षण का कार्य करने हेतु जागरूक है। ये मिलकर अपने जल, जंगल, जमीन को बचाते हैं। यह राष्ट्रीय हित में है।
- 8) इस अरवली नदी के जल जमीन को बचाने का प्रागवाहियों का संस्करण है। यह जैविक विविधता के लिए महान काम है। भारत सरकार व राज्यस्थान सरकार जैविक विविधता संरक्षण हेतु करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इस कार्य को किसी क्षेत्र में जनता स्वयं करेगी तो यह महान कार्य बिना खर्च किए ही हमें आसानी जायेगी। आपका इस हेतु से कुल स्तर पर या अंतर स्तर पर भी ही आघ होगी।
- 9) लोगों के संस्था संस्कार व भावनाओं का आदर करना चाहिए। इसी में सबद्रष्टि है। ऐसा करने से हमारे समाज सरकार को कौनों का लाभ होगा। जैविक विविधता के संरक्षण से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। पर्यावरण संतुलन बने रहने से हमें प्राकृतिक शोध का शीघ्र नहीं होगा। अतः इस क्षेत्र जैविक विविधता हेतु सुरक्षित करना जरूरी है।
- 10) लोगों के अभिप्राय से इस क्षेत्र में होने वाले संस्था कार्य में सरकार को सहयोग देर से ले लिया है। क्योंकि इस तरह के कार्य सरकार को देर से ही खर्च आते हैं। एवं जब समय में आते हैं तो पक्षता होता है। ऐसा गोपालपुरा गांव में जंगल बचाने की घटना में हुआ। सरिस्का की खदों बंद कराने में हुआ। देवरी में एकदम बनाते समय में भी हुआ।
- 11) अरवली नदी में मछलियां पकड़ने का कार्य आज के सरकारी कानून में होना ही सकता है लेकिन प्रकृति के कानून में यह अघेत नहीं है।
- 12) अरवली नदी के आस पास रहने वाले लोगों का संकल्प तरुण भारत संघ को सैद्धान्तिक रूप से मान्य है।
- 13) तरुण भारत संघ कानून तोड़ने का, या कानून के विरुद्ध कार्य नहीं करता है और न ही कोई कानून विरुद्ध कार्य करेगा। लेकिन लोकहित व राष्ट्रीय हित में कोई कानून बदलवाने हेतु लोगों के साथ सहयोग आवश्यक करेगा।
- 14) भाषा है आप ऊपर के लोगों के इशारे में सरकार अरवली नदी के लोगों की बात को संकेना से समझेंगे और इन्हें ही रद्द करने पर विचार करेंगे। चान्यवाद।

आपका
राजेश सिंह 8/10/26

Report
on
Reconnaissance Survey of Rainwater
Harvesting (RWH) Structures Constructed in
Arvari and Maheshwara River Catchments by
Tarun Bharat Sangh, Rajasthan

A Preliminary Report

By

S. P. Rai
Surjeet Singh
C. P. Kumar
&
V. C. Goyal

NATIONAL INSTITUTE OF HYDROLOGY
ROORKEE 247 667
2013-14

PREFACE

The rainwater harvesting and water conservation measures in water scarce regions are useful techniques for augmentation of groundwater recharge and base flow in rivers, particularly during the lean flow season. However, no guiding document exists on the revival of rivers through rainwater harvesting and water conservation measures in the catchment. In this context, a suggestion was given by a Member of the NIH Society to document hydrological impact of such water conservation techniques. Therefore, a field visit was undertaken by NIH scientists to Arvari and Maheshwara river catchments in Rajasthan for preliminary investigations on the impact of rainwater harvesting structures and revival of these rivers. The field visit was aimed to visit various water conservation sites in both the catchments and to collect available information, and to suggest a future course of action. During the field visit, some measurements of groundwater levels were taken and water samples of surface water bodies and groundwater were collected for isotopic and chemical measurements for preliminary analysis.

The report entitled "Reconnaissance Survey of Rainwater Harvesting (RWH) Structures Constructed in Arvari and Maheshwara River Catchments by Tarun Bharat Singh, Rajasthan". Report has been prepared by Dr. S. P. Rai, Dr. Surjeet Singh, Er. C. P. Kumar and Dr. V. C. Goyal. It provides preliminary information on the impact of water conservation and rainwater harvesting structures surveyed and recommendation for a future study.

Raj Deva Singh

[Raj Deva Singh]
Director

National Institute of Hydrology, Roorkee

Summary

In arid and semi-arid region, water scarcity is one of the main limiting factors for economic growth. This study highlights the noticeable prima facie visual field observations of RWH and impacts on groundwater recharge. A preliminary study of the major hydrochemical processes that control the variations of ions in the groundwater was also carried out. Groundwater and river, reservoir/ponds water were sampled from fifteen (15) locations in the Arvari and Maheshwara catchments for isotopic and chemical analysis. The measured ions (F , Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Cl , NO_3^- , SO_4^{2-} , HCO_3^-) were generally low with wide variations. Two principal hydrochemical water types have been delineated. These are $Ca-Mg-HCO_3$ which constitutes about 73.4% and is dominated by alkaline earths metals and weak acids. The second water type $Na-Mg-Ca-HCO_3$ is the mixed water type where no particular cation dominates and HCO_3^- is the main anion. The stable isotope reveals that the groundwater, river, reservoir/pond receive recharge from a common source of stable isotopic values of around -6.0‰ for $\delta^{18}O$ and -39.0‰ for δ^2H and the dam water undergoing significant evaporative enrichment of the isotopes. Tritium values in the study area are generally low and range from 1.24 to 5.31 TU; which indicates qualitative identification of modern recharge. Despite the small sample size of this work, isotope mass-balance calculations using $\delta^{18}O$ suggest a significant recharge through the anicuts to nearby groundwater for example at one site recharge ratio comes to about 50% in groundwater, hence the constructions of these dams and RWH should be encouraged to augment groundwater in the water scares regions of Rajasthan and other States of India. But before this, the foremost requirement is to properly document and disseminate such RWH practices and their positive impact on groundwater in a scientific manner to help the needy.

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

(तिथि क्रम से)

1. 1975 ई. में- तरुण भारत संघ की स्थापना (जयपुर में)
2. 1985 ई. में- तरुण भारत संघ का गाँवों में प्रवेश (भीकमपुरा-अलवर में)
3. 1986 ई. में- पहला जोहड़ (तालाब) बना (गोपालपुरा में)
4. फरवरी 1987 ई. में- सिंचाई विभाग द्वारा गोपालपुरा बाँध को तोड़ने का नोटिस
5. 30 जनवरी, 1987 ई. को- अरवरी नदी क्षेत्र में प्रवेश (ग्राम स्वावलम्बन पदयात्रा के दौरान)
6. 1988 ई. में- भाँवता गाँव में पहला काम (बाँडी जोहड़ी में)।
7. 1991 ई. - भाँवता में साँकड़ा बाँध का काम।
8. दिसम्बर, 1994 ई. में- अरवरी नदी पर हमीरपुर गाँव में 'ज़बर सागर' बाँध का निर्माण।
9. 1996 ई. में- अरवरी नदी साल भर बहना शुरू हुई।
10. 30 नवम्बर 1996 ई. को- मत्स्य विभाग ने लतीफ़ खाँ को 18700 रुपये में अरवरी नदी की मछलियों का ठेका दिया।
11. 11 अप्रैल 1997 ई. को- लोगों के दबाव व संघर्ष से मछलियों का ठेका रद्द हुआ।
12. फरवरी 1998 में-लतीफ़ खाँ ने अरवरी नदी में ज़हर घोला।
13. 19 दिसम्बर 1998 को-अरवरी नदी के किनारे पर जन-सुनवाई।
14. 6 अप्रैल, 1999 ई. को- केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री सोमपाल शास्त्री भाँवता-कोल्याला व हमीरपुर में आये।

15. 20 नवम्बर, 1999 ई. को- केन्द्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री श्रीमती विजोया चक्रवर्ती भाँवता-कोल्याला व हमीरपुर में आई।
16. 28 मार्च, 2000 ई. को- भारत के राष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन् हमीरपुर में कोल्याला-भाँवता ग्राम-सभा को पुरस्कृत करने आये।
17. 16-17 अप्रैल, 2000 ई. को- आर. एस. एस. के सर संघ चालक श्री के. सी. सुदर्शन ने संस्था के कार्यों का अवलोकन किया।
18. 5 मई, 2000 ई. को-केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री बाबूलाल मरांडी आये।
19. 11 मई, 2000 ई. को- केन्द्रीय कृषि मंत्री सुन्दरलाल पटवा हमीरपुर में आये।
20. 18 अक्टूबर, 2000 ई. को- फोर्ड फाउण्डेशन के ट्रस्टी मिस्टर रिचर्ड व उनकी पत्नी व फाउण्डेशन के भारतीय प्रतिनिधि आये। भाँवता-कोल्याला ग्रामसभा को एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया।
21. 3 मार्च, 2001 ई. को- अरवरी संसद् भवन (हमीरपुर) को तोड़ा।
22. 2 नवम्बर, 2003 ई. को- प्रिंस चार्ल्स आये (भाँवता में)।
23. 6 फरवरी, 2004 ई. को- महाराष्ट्र के श्रममंत्री श्री हेमन्तराव देशमुख भाँवता-कोल्याला आये।
24. 8 अप्रैल, 2004 ई. को- भाँवता-कोल्याला व हमीरपुर में राजस्थान के सिंचाई सचिव श्री डी. सी. सावंत आये।
25. 27 नवम्बर, 2006 ई. को- 'सीडा' के काउन्सलर (हरैउ श्री कार्ल गुस्ताफ सविन्सन व श्री रमेश मुकल्ला साँवतसर व कालेड़ के काम देखने आये।
26. 3 दिसम्बर, 2006 ई.- श्रीमती दमनसिंह ने अरवरी क्षेत्र के भाँवता, डूमोली व खरड़ाटा गाँवों में जल-संरक्षण के काम देखे।

गाँव भाँवता का वर्ष 1987 व 2013 का तुलनात्मक अध्ययन

	1987 में	2013 में	वृद्धि	वृद्धि दर
कुल जनसंख्या	235	495	260	111%
पुरुष	124	262	138	111%
स्त्री	111	233	122	110%
साक्षरता (पुरुष)	32	177	145	453%
साक्षरता (स्त्री)	6	98	92	1533%
गोधन (नर व मादा)	68	36	-32	-47%
भैंस (नर व मादा)	57	149	92	161%
बकरी (नर व मादा)	494	858	364	74%
दूध (लीटर में)	178	574	396	222%
कृषि भूमि (बीघा में)	192.5	231.25	38.75	20%
गेहूँ (मण में)	378	1788	1410	373%
जौ (मण में)	564	442	-122	-22%
सरसों (मण में)	30	232	202	673%
चना (मण में)	50	225	175	350%
मक्का (मण में)	503	1083	580	115%
बाजरा (मण में)	0	0	0	0%
बैल (संख्या में)	38	4	-34	-89%
कुल वार्षिक आय (रुपये में)	2,22,000	63,70,000	61,48,000	2769%

गाँव कोळ्याळा का वर्ष 1987 व 2013 का तुलनात्मक अध्ययन

	1987 में	2013 में	वृद्धि	वृद्धि दर
कुल जनसंख्या	185	328	143	77%
पुरुष	94	174	80	85%
स्त्री	91	154	63	69%
साक्षरता (पुरुष)	16	102	86	537%
साक्षरता (स्त्री)	0	20	20	-
गोधन (नर व मादा)	73	20	-53	-73%
भैंस (नर व मादा)	66	116	50	76%
बकरी (नर व मादा)	486	542	56	12%
दूध (लीटर में)	154	322	168	109%
कृषि भूमि (बीघा में)	139.5	132.75	-6.75	-5%
गेहूँ (मण में)	275	1402	1127	410%
जौ (मण में)	315	233	-82	-26%
सरसों (मण में)	20	115	95	475%
चना (मण में)	7	75	68	971%
मक्का (मण में)	431	619	188	44%
बाजरा (मण में)	0	15	15	-
बैल (संख्या में)	36	9	-27	-75%
कुल वार्षिक आय (रुपये में)	1,92,500	37,85,000	35,95,500	1866%

ग्राम-भौवता, पोस्ट-आगर, तहसील-
(1987 व 2013 का

क्र. सं.	परिघात के मुखिया का नाम	जनसंख्या						साक्षरता				पशु-धन					
		कुल		पुरुष		स्त्री		पुरुष		स्त्री		गाय		मैस		बकरी	
		वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013
1	सोन्ना S/O घन्टा	-	6	-	3	-	3	-	3	-	2	-	-	-	2	-	2
2	रुचिकर धन्. नन् S/O धन्	-	9	-	5	-	4	-	2	-	2	-	-	-	2	-	30
3	1. घन्टा S/O गणेश	8	15	5	8	3	7	-	5	-	4	4	-	2	4	-	32
3	पीता S/O मयरा	-	6	-	3	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	50
4	सेद S/O मयरा	-	8	-	5	-	3	-	3	-	-	-	-	-	4	-	2
5	2. पीता S/O मयरा	6	14	3	8	3	6	-	3	-	-	5	2	2	4	-	52
5	छीतर S/O सूसा	-	15	-	9	-	6	-	1	-	-	2	-	-	4	-	40
5	3. छीतर S/O सूसा	6	15	3	9	3	6	-	1	-	-	3	2	2	4	20	40
6	काना S/O श्रवण	-	14	-	5	-	9	-	2	-	3	-	2	-	2	-	10
7	बेनी S/O जरायण	-	5	-	2	-	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	12
7	4. श्रवण S/O नारायण	8	19	4	7	4	12	-	3	-	4	2	3	-	2	10	22
8	सुधा S/O अर्जुन	-	4	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
8	6. अर्जुन S/O नारायण	2	4	1	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
9	शमकर S/O मूला	-	14	-	7	-	7	-	5	-	2	-	-	-	4	-	2
9	8. शमकर S/O मूला	5	14	2	7	3	7	1	5	-	2	4	-	3	4	20	2
10	गन्धु S/O रामपाल	-	5	-	2	-	3	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-
11	छोटया S/O रामपाल	-	6	-	3	-	3	-	2	-	1	-	-	-	3	-	10
12	सरदाय S/O रामपाल	-	6	-	3	-	3	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-
13	जवायण S/O रामपाल	-	5	-	3	-	2	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-
14	रमेश S/O रामपाल	-	4	-	1	-	3	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-
7	रामपाल S/O बीज्या	10	26	6	12	4	14	-	8	-	6	2	-	3	11	20	10
15	बाबू लाल. कीला S/O रामपाल	-	11	-	5	-	6	-	3	-	-	2	-	2	-	-	40
16	शयदान S/O बिसना	-	8	-	5	-	3	-	4	-	2	-	2	-	3	-	-
8	बिसना S/O बीज्या	8	19	4	10	4	9	1	7	-	2	2	4	3	5	40	40
17	गोविन्दा S/O बीज्या	-	23	-	15	-	8	-	6	-	2	-	2	-	5	-	40
9	गोविन्दा S/O बीज्या	7	23	5	15	2	8	-	6	-	2	2	2	2	5	30	40
18	गुडा S/O बीज्या	-	4	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-
10	10.गुडा S/O बीज्या	5	4	2	2	3	2	1	-	-	1	3	-	3	3	-	-
19	राजू सिंह S/O बजरंग सिंह	-	7	-	4	-	3	-	3	-	1	-	2	-	3	-	-
20	वीरेंद्र सिंह S/O बजरंग सिंह	-	10	-	5	-	5	-	4	-	4	-	2	-	3	-	-
21	लाल सिंह S/O बजरंग सिंह	-	4	-	3	-	1	-	3	-	1	-	2	-	2	-	2
22	प्रताप सिंह S/O बजरंग सिंह	-	5	-	4	-	1	-	4	-	1	-	-	-	1	-	2
23	श्रीला कंवर w/O प्रहलाद सिंह	-	3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
11	11.हनुम सिंह S/O बने सिंह	10	29	6	16	4	13	5	14	1	10	2	6	3	9	-	4
24	मनोर सिंह S/O गोपाल सिंह	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	2
25	देव सिंह S/O गोपाल सिंह	-	8	-	3	-	5	-	3	-	3	-	-	-	-	-	1
12	12.गोपाल सिंह S/O नारायण सिंह	9	10	5	4	4	6	5	4	2	3	4	2	3	1	-	3
26	कल्याण सिंह (गोपाल छोटा गणेश)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13. कल्याण सिंह S/O बने सिंह	8	-	6	-	2	-	5	-	1	-	2	-	2	-	2	-
27	श्रवण S/O मोला	-	12	-	4	-	8	-	4	-	2	-	-	-	2	-	7
28	प्राजु S/O मोला	-	8	-	5	-	3	-	5	-	1	-	-	-	1	-	50
29	राधेश्याम S/O मोला	-	5	-	3	-	2	-	3	-	1	-	-	-	2	-	7
14	14. मोला S/O मुकुन्दा	15	25	8	12	7	13	3	12	-	4	2	-	2	5	30	64
30	मूल S/O प्रभात	-	11	-	5	-	6	-	4	-	1	-	-	-	3	-	30
31	पन्ना S/O प्रभात	-	10	-	7	-	3	-	5	-	1	-	-	-	2	-	35
32	स्वामी S/O प्रभात	-	7	-	5	-	2	-	5	-	1	-	-	-	2	-	7
33	सम्पत S/O प्रभात	-	6	-	4	-	2	-	4	-	-	-	-	-	2	-	7
15	15. प्रभात S/O मुकुन्दा	14	34	9	21	5	13	1	18	-	3	2	-	2	9	40	79
34	राम सहाय S/O दाना	-	8	-	5	-	3	-	5	-	2	-	-	-	1	-	10
35	मूल धन् S/O दाना	-	6	-	2	-	4	-	1	-	2	-	-	-	2	-	2

थानागाजी, जिला-अलवर (राजस्थान) तुलनात्मक अध्ययन)

दूध (लीटर में)		कृषि भूमि (बीघा में)		फसल उत्पादन की मात्रा (मैग में)														कुल वार्षिक क्षय	
वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	गेहूँ		जौ		सरसों		चना		मकई		बाजरा		रैत		1987	2013
1987	2013	1987	2013	1987	2013	1987	2013	1987	2013	1987	2013	1987	2013	1987	2013	1987	2013	1987	2013
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
-	6	-	2.5	-	40	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	70000
-	7	-	7	-	60	-	10	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30000
6	13	9	9.5	30	100	25	10	-	-	-	-	25	50	-	-	2	-	8000	100000
-	8	-	4	-	30	-	20	-	5	-	-	-	20	-	-	-	-	-	60000
-	12	-	3	-	20	-	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	50000
5	20	7	7	30	50	40	35	-	5	-	-	-	35	-	-	2	-	9000	110000
-	17	-	2	-	30	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	60000
5	17	2	2	15	30	10	-	-	-	-	-	10	15	-	-	2	-	6000	60000
-	10.5	-	1	-	15	-	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	30000
-	5	-	1	-	15	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	30000
2	15.5	2	2	10	30	15	15	-	-	-	-	10	22	-	-	2	-	7000	60000
-	1	-	1.5	-	20	-	5	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	30000
0.5	1	2	1.5	5	20	10	5	-	-	-	-	8	15	-	-	-	-	7000	30000
-	14	-	10	-	50	-	20	-	20	-	-	-	25	-	-	-	-	-	100000
7	14	10	10	10	50	30	20	-	20	-	-	20	25	-	-	1	-	10000	100000
-	7	-	1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	50000
-	9	-	1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	60000
-	7.5	-	1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	50000
-	7.5	-	1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100000
-	7.5	-	1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	60000
9	38.5	4	5	5	100	15	-	-	-	-	-	15	50	-	-	1	-	9000	320000
-	14	-	5	-	60	-	10	-	15	-	-	-	40	-	-	1	-	-	100000
-	7.5	-	2	-	30	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	50000
9.5	21.5	4	7	6	90	15	10	-	15	-	-	14	50	-	-	1	1	8000	150000
-	23	-	8	-	20	-	20	-	10	-	-	-	50	-	-	-	-	-	150000
9	23	5	8	10	20	20	20	-	10	-	-	20	50	-	-	1	-	10000	150000
-	8	-	10	-	40	-	30	-	10	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100000
6	8	10	10	20	40	40	30	-	10	-	-	40	30	-	-	1	-	8000	100000
-	11	-	10	-	50	-	20	-	20	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100000
-	11	-	10	-	30	-	20	-	40	-	20	-	20	-	-	-	-	-	200000
-	11	-	10	-	30	-	20	-	20	-	30	-	20	-	-	-	-	-	70000
-	0.5	-	10	-	30	-	20	-	15	-	20	-	20	-	-	-	-	-	100000
-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	70	-	20	-	-	-	-	-	100000
7	33.5	40	50	20	140	30	80	-	95	-	140	30	110	-	-	2	-	10000	570000
-	11	-	8	-	10	-	-	-	10	-	30	-	-	-	-	-	-	-	50000
-	0.5	-	8	-	20	-	10	-	10	-	30	-	-	-	-	-	-	-	200000
8	11.5	30	16	-	30	10	10	10	20	20	60	20	-	-	-	2	-	7000	250000
-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-----
8	-	22	22	-	-	-	-	20	-	10	-	-	-	-	-	2	-	7000	-----
-	6	-	0.5	-	20	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	50000
-	11	-	0.5	-	20	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	500000
-	7	-	0.5	-	20	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1250000
6	24	1	1.5	10	60	30	-	-	-	-	-	20	15	-	-	2	-	6000	675000
-	8	-	1.5	-	20	-	5	-	-	-	5	-	15	-	-	-	-	-	100000
-	19	-	0.75	-	20	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	90000
-	10	-	1.5	-	20	-	5	-	-	-	5	-	15	-	-	-	-	-	100000
-	7	-	1	-	15	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	80000
5	44	1.5	4.75	10	75	30	15	-	-	-	15	20	40	-	-	2	-	7000	370000
-	8	-	0.5	-	25	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	60000
-	7	-	0.5	-	25	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	60000

ग्राम-भाँवता, पोस्ट-आगर, तहसील-
(1987 व 2013 का

क्र. सं.	परिवार के मुखिया का नाम	जनसंख्या						साक्षरता				पशु-धन							
		कुल		पुरुष		स्त्री		पुरुष		स्त्री		गाय		भैंस		बकरी			
		वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013		
36	सीताराम s/o दाना	-	6	-	2	-	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.	दाना s/o मूकन्दा	10	20	4	9	6	11	1	7	-	6	2	-	1	3	20	33		
37	रामकरम त्तलसी s/o भगवाना	-	5	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	7		
17.	भगवाना s/o मूकन्दा	7	5	3	3	4	2	1	1	-	2	-	2	-	1	2	10	7	
38	सोन्पा s/o मूकन्दा	-	8	-	3	-	5	-	2	-	2	-	2	-	-	-	35		
18.	सोन्पा s/o मूकन्दा	5	8	3	3	2	5	-	2	-	2	1	2	-	-	2	35		
39	सेदू s/o मूकन्दा	-	6	-	3	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2		
40	पिछपाल s/o सेदू	-	7	-	3	-	4	-	2	-	3	-	-	-	2	-	-		
41	बोदू s/o सेदू	-	5	-	2	-	3	-	1	-	2	-	-	-	3	-	1		
19.	सेदू s/o मूकन्दा	7	18	3	8	4	10	-	5	-	6	1	-	1	5	30	3		
42	रामकीरम s/o नानछा	-	4	-	3	-	1	-	2	-	-	-	2	-	3	-	30		
43	सीता राम s/o नानछा	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5		
44	बाबू s/o नानछा	-	7	-	4	-	3	-	4	-	1	-	-	-	2	-	15		
20.	नानछा s/o विरदू	8	13	4	8	4	5	1	6	2	1	2	2	2	7	20	50		
45	सुरजा s/o मंगला	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10		
46	बबू रिसई s/o बानाराम s/o मंगल	-	5	-	2	-	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-		
47	मीरा s/o मंगला	-	6	-	5	-	1	-	5	-	1	-	-	-	2	-	30		
48	छोटेलाल s/o मंगला	-	9	-	4	-	5	-	4	-	2	-	2	-	-	-	4		
49	गुम्बन s/o मंगला	-	5	-	3	-	2	-	2	-	2	-	-	-	1	-	30		
50	कालू s/o मंगला	-	5	-	3	-	2	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-		
51	जयराम s/o मंगला	-	6	-	4	-	2	-	4	-	1	-	-	-	-	-	3		
21.	मंगला s/o विरदू	17	38	8	22	9	16	-	19	-	7	2	2	2	5	30	77		
52	अनघी w/o रामदेश	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22.	राम देवा s/o विरदू	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-		
53	बाबूलाल s/o रामपाल	-	8	-	4	-	4	-	3	-	3	-	-	-	3	-	60		
54	रामन s/o रामपाल	-	6	-	3	-	3	-	1	-	2	-	-	-	4	-	4		
55	तेजतराम s/o रामपाल	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3		
56	कन्हैयालाल s/o रामपाल	-	4	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	40		
23.	रामपाल s/o भूरा	8	21	6	12	2	9	1	6	-	5	2	-	3	10	30	107		
57	राजू s/o शिम्पू	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-		
24.	राजू s/o शिम्पू	5	2	1	1	4	1	1	1	-	4	-	1	2	4	-	-		
58	जगदीश कौला s/o सेदू	-	10	-	5	-	5	-	3	-	1	-	3	-	6	-	40		
59	छोटेलाल s/o सेदू	-	6	-	3	-	3	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-		
60	किशन s/o सेदू	-	7	-	3	-	4	-	2	-	3	-	-	-	4	-	5		
25.	जगदीश s/o सेदू	11	23	6	11	5	12	1	7	-	6	3	3	2	10	40	45		
61	रमणी s/o भोग	-	6	-	3	-	3	-	1	-	1	-	-	-	2	-	3		
62	गंगाराम s/o भोग	-	14	-	7	-	7	-	3	-	3	-	-	-	7	-	40		
26.	रमणी गंगाराम s/o भोग	12	20	5	10	7	10	2	4	-	4	4	-	4	9	25	43		
63	प्रम s/o सुन्दर	-	6	-	3	-	3	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3		
64	मदन s/o सुन्दर	-	5	-	1	-	4	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2		
65	घासी s/o सुन्दर	-	7	-	4	-	3	-	4	-	2	-	-	-	2	-	6		
27.	सुन्दर s/o क्षमरा	10	18	4	8	6	10	1	6	-	6	3	-	3	6	30	11		
66	जयराम s/o नारायण	-	5	-	3	-	2	-	2	-	1	-	-	-	1	-	2		
67	कन्हैया लाल s/o नारायण	-	5	-	3	-	2	-	3	-	1	-	-	-	4	-	1		
68	छाजू s/o नारायण	-	7	-	2	-	5	-	1	-	4	-	-	-	3	-	2		
69	लालू s/o नारायण	-	6	-	4	-	2	-	2	-	-	-	-	-	3	-	2		
28.	नारायण s/o क्षमरा	12	23	7	12	5	11	1	8	-	6	2	-	4	11	40	7		
70	रामचन्द्र s/o खना	-	12	-	9	-	3	-	9	-	3	-	2	-	2	-	20		
71	रामकिशन s/o खना	-	7	-	5	-	2	-	4	-	-	-	3	-	4	-	20		
69	फुला s/o खना	-	7	-	4	4	3	-	2	-	2	-	-	-	3	-	3		
69	पूरुष s/o खना	-	8	-	4	-	4	-	3	-	3	-	1	-	4	-	4		
29.	खना मरगक	-	34	-	22	-	12	-	18	-	8	-	6	-	13	-	47		
	कुल योग	235	495	124	262	111	233	32	177	6	98	68	36	57	149	494	858		

थानागाजी, जिला-अलवर (राजस्थान)

तुलनात्मक अध्ययन)

दूध (लीटर में)		क्षुधि भूमि (बीघा में)		फसल उत्पादन की मात्रा (मण में)												कुल वार्षिक आय				
वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013	गेहूँ		जौ		सरसों		घना		भरका		बाजरा		दाल		1987	2013	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
-	-	-	0.5	-	25	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	50000	
5	15	1	1.5	10	75	10	-	-	-	-	-	5	30	-	-	1	-	6000	170000	
-	8	-	1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	70000	
-	8	1	1	8	20	10	-	-	-	-	-	4	5	-	-	1	-	5000	70000	
-	8	-	1	-	15	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	200000	
-	8	1	1	7	15	8	-	-	-	-	-	4	5	-	-	-	-	7000	200000	
-	-	-	0.5	-	10	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	80000	
-	7	-	0.5	-	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	60000	
-	8	-	0.5	-	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	50000	
8	15	1	1.5	7	30	8	-	-	-	-	-	5	9	-	-	1	-	6000	190000	
-	10	-	1	-	40	-	10	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	70000	
-	6	-	1	-	40	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	50000	
-	6	-	1	-	35	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	70000	
8	22	2	3	20	115	25	10	-	-	-	-	20	70	-	-	1	-	7000	190000	
-	1	-	0.5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	15000	
-	-	-	0.5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	50000	
-	8	-	0.5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100000	
-	3	-	0.5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	60000	
-	7	-	0.5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	50000	
-	7	-	0.5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	50000	
-	-	-	0.5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	50000	
8	26	2	3.5	15	35	10	-	-	-	-	-	15	35	-	-	-	-	7000	375000	
-	-	-	1.5	-	15	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	10000	
5	-	2	1.5	10	15	8	-	-	-	-	-	8	5	-	-	1	-	7000	10000	
-	11	-	1	-	25	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	90000	
-	7	-	1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	40000	
-	7	-	1	-	25	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	60000	
-	11	-	1	-	25	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	80000	
6	36	3	4	10	95	20	-	-	-	-	-	20	45	-	-	1	-	8000	270000	
-	8	-	4	-	50	-	10	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	50000	
6	8	6	4	20	50	20	10	-	-	-	-	30	20	-	-	2	-	10000	50000	
-	10	-	4	-	50	-	10	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	150000	
-	-	-	2	-	40	-	10	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	500000	
-	8	-	2	-	40	-	10	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	60000	
9	18	3	8	20	130	20	30	-	-	-	-	30	70	-	-	1	-	9000	710000	
-	7	-	3	-	50	-	10	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	60000	
-	26	-	4	-	40	-	20	-	-	-	-	5	30	-	-	-	-	-	70000	
8	33	7	7	30	90	35	30	-	-	-	5	5	30	35	-	-	2	-	10000	130000
-	8	-	2.5	-	30	-	10	-	-	-	-	5	-	20	-	-	-	-	70000	
-	7	-	2.5	-	30	-	10	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	30000	
-	8	-	2.5	-	30	-	10	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	50000	
11	23	7	7.5	20	90	30	30	-	-	10	5	40	55	-	-	2	-	11000	150000	
-	7.5	-	2.5	-	30	-	10	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	80000	
-	8	-	4	-	30	-	10	-	10	-	-	-	30	-	-	-	-	-	150000	
-	8	-	4	-	30	-	10	-	10	-	-	-	30	-	-	-	-	-	50000	
-	7	-	3	-	20	-	10	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	50000	
11	30.5	7	13.5	20	110	40	40	-	20	5	-	40	95	-	-	2	-	10000	330000	
-	14	-	4.5	-	20	-	10	-	10	-	-	-	20	-	-	-	-	-	200000	
-	17	-	4.5	-	18	-	12	-	12	-	-	-	22	-	-	-	2	-	90000	
-	7	-	4.5	-	20	-	10	-	10	-	-	-	30	-	-	-	-	-	40000	
-	9	-	4.5	-	25	-	10	-	5	-	-	-	25	-	-	-	1	-	150000	
-	47	-	18	-	83	-	42	-	37	-	-	-	97	-	-	-	3	-	480000	
178	574	192.5	231.25	378	1788	564	442	30	232	50	225	503	1083	0	0	38	4	222000	6370000	

ग्राम-कोळ्याळा, पोस्ट-आगर, तहसील-
(1987 व 2013 का

क्र. सं.	परिशर के मुखिया का नाम	जनसंख्या						साक्षरता				पशु-पन					
		कुल		पुरुष		स्त्री		पुरुष		स्त्री		गाय		मैस		बकरी	
		वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013	वर्ष 1987	वर्ष 2013
1	छोतर s/o प्रभात	-	9	-	6	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-	4	-
2	रामनिवास s/o गोपाल	-	11	-	6	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	3	-
1	प्रभात, गोपाल, रेवड़	16	20	7	12	9	8	2	11	-	-	4	-	-	8	7	-
3	कल्याण s/o छोतर	-	10	-	5	-	5	-	4	-	1	-	-	-	-	4	-
2	छोतर s/o	3	10	2	5	1	5	2	4	-	1	-	-	3	4	-	2
4	मोहन हनुमान, प्रहलाद, किशोर	-	17	-	10	-	7	-	5	-	1	-	2	-	8	-	2
3	हरसाव /	7	17	5	10	2	7	1	5	-	1	-	2	4	8	35	2
5	रामलाल, पप्पू, रमेश	-	13	-	8	-	5	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-
4	रामलाल / कन्हैया	6	13	4	8	2	5	1	6	-	-	1	-	3	6	30	-
6	जगदीश s/o भगवाना	-	15	-	9	-	6	-	5	-	2	-	-	-	3	-	25
7	बाबूलाल s/o भगवाना	-	9	-	5	-	4	-	5	-	2	-	-	-	5	-	2
8	कैलास s/o भगवाना	-	6	-	3	-	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
5	भगवाना / छोटे	7	30	4	17	3	13	1	11	-	4	4	-	2	10	-	29
9	अर्जुन s/o नाथू	-	7	-	3	-	4	-	1	-	1	-	-	-	6	-	11
10	काना s/o नाथू	-	17	-	7	-	10	-	3	-	3	-	3	-	7	-	80
11	मंगा सहाय s/o नाथू	-	11	-	6	-	5	-	5	-	1	-	-	-	2	-	2
12	रामसहाय s/o नाथू	-	9	-	5	-	4	-	3	-	2	-	-	-	2	-	-
13	भगवाना s/o महादेव	-	8	-	4	-	4	-	3	-	1	-	4	-	3	-	50
6	नाथू s/o मौजू	40	52	18	25	22	27	4	15	-	8	9	7	8	20	90	143
14	बोदू s/o कजोड	-	6	-	3	-	3	-	2	-	1	-	1	-	5	-	40
15	नन्दा s/o कजोड	-	8	-	5	-	3	-	3	-	1	-	-	-	2	-	2
16	रामकरण s/o श्रवण	-	4	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	2	-	-	64
7	कजोड / भीरा	9	18	5	10	4	8	-	5	-	2	4	2	3	9	40	42
17	मैरू s/o पीरा	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
18	गणपत s/o मैरू	-	9	-	5	-	4	-	4	-	-	-	-	-	3	-	60
19	कतू s/o मैरू	-	7	-	4	-	3	-	2	-	-	-	-	-	2	-	4
8	मैरू / पीरा	10	18	4	10	6	8	-	6	-	-	7	-	3	7	30	64
20	कैलास s/o रामपात	-	6	-	2	-	4	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1
21	मोहन s/o रामपात	-	4	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1
22	छाजू s/o रामपुत्रा	-	7	-	2	-	5	-	1	-	1	-	1	-	3	-	2
9	रामपात, छाजू, रामसुखा	10	17	4	6	6	11	-	3	-	1	8	1	2	7	-	4
23	धन्ना s/o रामचन्दर	-	7	-	3	-	4	-	2	-	-	-	-	-	5	-	50
10	धन्ना / रामचन्द	6	7	3	3	3	4	-	2	-	-	2	-	2	5	40	50
24	जयवान s/o सगरा	-	11	-	5	-	6	-	3	-	2	-	2	-	2	-	41
25	बाबूलाल s/o सगरा	-	5	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
11	जयवाम, बाबू s/o सगरा	7	16	3	7	4	9	-	3	-	2	5	2	-	2	30	46
26	रामकिशन s/o भरता	-	12	-	6	-	6	-	4	-	-	-	-	-	3	-	45
27	रामप्रताप s/o भरता	-	9	-	4	-	5	-	2	-	-	-	-	-	2	-	10
28	लाला राम s/o भरता	-	11	-	3	-	8	-	2	-	-	-	-	-	2	-	8
12	भरता s/o झुंझा	11	32	6	13	5	19	1	8	-	-	8	-	3	7	50	63
29	घासी s/o बदी	-	9	-	5	-	4	-	3	-	-	-	-	-	3	-	15
13	घासी s/o बदी	3	9	1	5	2	4	-	3	-	-	-	-	2	3	-	15
30	सुन्दर s/o बिरदू	-	10	-	6	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4
14	छाजू, सुन्दर s/o बिरदू	6	10	3	6	3	4	-	3	-	-	2	-	-	-	-	4
31	नाथू, नारायण s/o पीरा	-	5	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	7	-	1
15	नाथू, नारायण s/o पीरा	5	5	4	4	1	1	1	1	-	-	2	-	8	7	30	1
32	गोपालस/रामसहायस/ओबीजा	-	12	-	7	-	5	-	6	-	-	-	-	-	7	-	30
16	मेरुस/रामसहायस/ओबीजा	7	12	4	7	3	5	1	6	-	-	4	-	6	7	30	30
33	रामलाल, लीलास/ओछोतर	-	6	-	4	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2
17	रामलाल, लीलास/ओछोतर	4	6	3	4	1	2	-	-	-	1	3	1	1	1	20	2
34	किशन s/o पीरा	-	6	-	3	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	8
18	किशन s/o पीरा	5	6	3	3	2	3	-	1	-	-	3	-	2	1	20	8
35	सोहन s/o रेवड़	-	5	-	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	15
19	रेवड़ s/o डालू	5	5	2	2	3	3	-	1	-	-	3	-	2	-	10	15
36	श्रवण s/o पीपू	-	11	-	8	-	3	-	3	-	-	4	-	3	-	-	15
20	श्रवण s/o पीपू	7	11	3	8	4	3	1	3	-	-	2	4	2	3	16	15
37	भगसा s/o प्रभात	-	8	-	5	-	3	-	4	-	-	1	-	1	-	-	1
38	चन्दा s/o प्रभात	-	6	-	4	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	6
21	प्रभात s/o पीपू	11	14	6	9	5	5	1	5	-	-	2	1	2	2	15	7
कुल योग		185	328	94	174	91	154	16	102	0	20	73	20	66	116	486	542

थानागाजी, जिला-अलवर (राजस्थान) तुलनात्मक अध्ययन)


द्वय (लीटर में)		क्षिति भूमि (बीघा में)		फसल उत्पादन की मात्रा (मग में)												कुल वार्षिक बाय			
				गेहूँ		जौ		घरसों		चना		मक्का		बाजरा				बैत	
1987	2013	1987	2013	1987	2013	1987	2013	1987	2013	1987	2013	1987	2013	1987	2013	1987	2013		
17	10	-	8	-	70	-	24	-	30	-	-	-	20	-	-	-	75000		
-	6	-	8	-	72	-	-	-	25	-	-	-	15	-	-	-	80000		
7	16	16	16	20	142	30	-	-	55	-	-	-	25	35	-	4	8000		
-	6	-	3	-	25	-	-	-	-	-	10	-	15	-	-	-	100000		
5	6	3	3	15	25	-	-	-	-	-	10	10	15	-	-	-	2500		
-	24	-	5	-	100	-	-	-	-	-	5	-	30	-	-	-	600000		
10	24	3	5	15	100	-	-	-	-	-	5	10	30	-	-	-	5000		
-	12	-	5	-	100	-	20	-	100	-	-	-	25	-	10	-	200000		
6	12	5	5	30	100	-	20	-	-	-	-	-	20	25	-	10	5000		
-	8	-	4	-	50	-	20	-	-	-	10	-	15	-	-	-	200000		
-	12	-	4	-	50	-	20	-	-	-	10	-	20	-	-	-	200000		
-	5	-	2	-	20	-	5	-	-	-	-	-	12	-	-	-	40000		
6	25	6	10	15	120	15	45	-	-	-	20	15	47	-	-	2	6000		
-	7	-	3	-	30	-	5	-	-	-	-	-	16	-	-	-	60000		
-	21	-	5	-	50	-	10	-	-	-	-	-	20	-	-	-	150000		
-	7	-	3	-	30	-	5	-	-	-	-	-	16	-	-	-	150000		
-	7	-	3	-	30	-	5	-	-	-	-	-	15	-	-	-	90000		
-	7	-	5	-	50	-	10	-	-	-	-	-	20	-	-	2	100000		
19	49	15	19	30	190	70	35	-	-	2	-	70	87	-	-	5	2	40000	
-	14	-	3	-	30	-	5	-	-	-	-	-	15	-	-	1	-	90000	
-	7	-	3	-	30	-	5	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	50000	
-	7	-	3	-	30	-	5	-	-	-	-	-	15	-	-	1	-	50000	
6	28	9	9	20	90	30	15	-	-	-	-	-	25	45	-	2	2	8000	
-	7	-	1	-	15	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	20000	
-	7	-	4	-	30	-	15	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	150000	
-	7	-	3	-	30	-	10	-	-	-	-	-	15	-	-	1	-	40000	
6	21	9	8	20	75	30	25	-	-	-	-	30	41	-	-	2	1	8000	
-	7	-	2	-	30	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	40000	
-	7	-	2	-	30	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	50000	
-	7	-	4	-	40	-	10	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	50000	
8	21	8	8	20	100	50	10	-	-	-	-	30	50	-	-	4	-	10000	
-	16	-	5	-	20	-	-	-	30	-	-	-	40	-	-	-	-	100000	
4	16	5	5	-	20	-	-	15	30	-	-	15	40	-	-	-	-	8000	
-	11	-	1.25	-	20	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	100000	
-	-	-	1.25	-	20	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	70000	
6	11	2.5	2.5	-	40	-	-	-	-	-	-	10	16	-	-	2	-	9000	
-	7	-	1.50	-	40	-	10	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	150000	
-	6.5	-	2	-	35	-	3	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	70000	
-	6.5	-	1.25	-	30	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	90000	
11	20	2	4.75	-	105	-	13	-	-	-	-	20	25	-	-	5	2	10000	
-	7.5	-	1.25	-	35	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	90000	
5	7.5	1	1.25	-	35	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	6000	
-	1.5	-	4	-	20	-	10	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	50000	
-	1.5	4	4	-	20	-	10	-	-	-	-	10	13	-	-	2	-	7000	
-	24	-	5	-	10	-	5	-	10	-	-	-	15	-	-	-	-	60000	
24	24	30	5	-	10	-	5	5	10	-	-	30	15	-	-	2	-	10000	
-	14	-	8	-	100	-	25	-	20	-	-	-	40	-	-	-	-	150000	
10	14	4	8	20	100	40	25	-	20	-	-	30	40	-	-	2	-	11000	
-	-	-	2.25	-	14	-	-	-	-	-	-	12	14	-	-	-	-	30000	
6	-	4	2.25	20	14	15	-	-	-	-	-	12	20	14	-	-	-	10000	
-	7	-	4	-	20	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	2	-	50000	
5	7	4	4	15	20	15	-	-	-	-	8	20	8	-	-	2	2	7000	
-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	20000	
-	-	4	1	15	6	15	-	-	-	-	-	20	3	-	-	2	-	7000	
-	5	-	4	-	30	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	2	-	50000	
5	5	2.5	4	10	30	5	-	-	-	-	-	6	15	-	-	1	2	7000	
-	7	-	4	-	30	-	10	-	-	-	-	10	20	-	-	-	-	70000	
-	7	-	4	-	30	-	20	-	-	-	-	10	30	-	-	-	-	50000	
5	14	2.5	8	10	60	-	30	-	-	5	20	10	50	-	-	1	-	8000	
154	322	139.5	132.75	275	1402	315	233	20	115	7	75	431	619	0	15	36	9	1,92,500	
																			37,85,000

ग्राम-भावता-कोल्याला के कुओं का सर्वे (23 व 24 जून, 2013) मानसून से पूर्व - कृषि-माला व गोपालक द्वारा

क्रमांक	कुएँ का नाम	गौरव का नाम	जलिक का नाम	उत्पत्ती बकाशा (हिटी में)	पूर्वी दैशावर (हिटी में)	कुत पहराई (भाग से) (मीटर में)	भरा हुआ पानी (मीटर में)		कुएँ का व्यास की लंबाई (मीटर में)	भाग से बरसत (मीटर में)	विशेष टिप्पणी
							1987	2013			
							7.	8.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	भूला दादा का कुआ	भावता	सुन्दर,रमणी,जयराम	27.31368	76.20630	29	सूखा	12.00	3	1.5	
2	रावला कुआ	"	भुरगंभ शो-सीरा	27.31229	76.20618	28.35	3	11.10	3.10	3	
3	बाबला कुआ	"	बलाई परिवार	27.31181	76.20493	25.9	3	12.90	1.90	1.5	
4	शंकरपाली के नीचे कुआ	"	(बिता नाम)	27.31414	76.20439	9.60	सूखा	सूखा	2	0	भाग्य नहीं
5	पकाला कुआ	"	रामपाल, भुइया,गोविन्द,सिरवा	27.30965	76.20322	23.5	सूखा	9.40	3.10	1.20	
6	नवा कुआ (नगराडो का)	"	काना भगवड	27.30976	76.20717	28.5	सूखा	11.00	4	0	भाग्य नहीं
7	मोहला (बरकडी वाला) कुआ	"	काना भगवड	27.31028	76.20823	28.9	1	11.40	2.80	0.30	
8	हनुमान सिंह जी का कुआ	"	हनुमान सिंह	27.30811	76.20733	28.5	सूखा	18.00	2.30	1	भाग्य नहीं
9	मोथ्याला कुआ	"	(बिता नाम)	27.30820	76.20688	19.3	1.5	8.90	3.60	0	
10	मौगा दाता कुआ	"	बजरंग सिंह	27.30733	76.20515	27.8	सूखा	15.10	2.90	1	
11	धरौ आगला कुआ	"	सुन्दर,रमणी,जयराम	27.30636	76.20650	23.7	1.5	7.10	2.40	2.50	
12	धरी दाता कुआ	"	रामपाल, भुइया,गोविन्द,सिरवा	27.30683	76.20165	22.3	सूखा	10.60	2.80	1	
13	सोहवा कुआ	"	बजरंग सिंह	27.30640	76.20345	20.40	सूखा	8.20	3.00	1.20	
14	बन्दाता कुआ	"	बजरंग सिंह,पम्पा,भन्वरा	27.30476	76.20473	23.75	1.5	11.50		1.50	
15	काच दादा का कुआ	"	जगदीश,छोटैताल	27.30400	76.20470	26.10	सूखा	12.60	2.40	0.30	
16	नवा कुआ	"	बजरंगसिंह	27.30424	76.20615	19.3	सूखा	5.60		1	
17	बकाला कुआ	"	बजरंगसिंह,भक्क,नारायण	27.30220	76.20612	23.3	0.5	6.80		1.50	
18	कोडी कुआ	"	मनोहर सिंह	27.30099	76.20594	19.4	सूखा	2.15	2	3	
19	बोर-1 गोविन्द,जयराम की	"	गोविन्द,जयराम	27.31318	76.20392	100	खेर पत्ती वा	सर्पंच पत्ती			
20	सोहवाला कुआ	छोन्वाला	खटागा परिवार	27.30107	76.20209	23.1	सूखा	5.60	3	1	
21	छाता कुआ शिवालक के पास	"	खटागा परिवार	27.30130	76.20058	20.2	2	6.40	3.10	2	
22	गोपाला कुआ	"	अर्जुन,रामपाल,सोदु,पैर	27.29950	76.20023	25.1	1	12.00	2	1.50	
23	ऊँठी वाला कुआ	"	अर्जुन,रामकिशन भोपा,सुन्दर	27.30035	76.20205	16.70	सूखा	सूखा	2.70	1.50	
24	बन्दाता कुआ	"	अर्जुन,सोदु,छाजू,पैर	27.29958	76.20251	24.7	3	6.00	3.75	2	
25	छातर केप का कुआ खेर के पास	"	भरवा,भगरा,छाजू,मौगा	27.29941	76.20251	19.90	सूखा	सूखा		1	
26	मोथ्याला कुआ	"	शरम,रामकिशन मौगा	27.29900	76.20477	15.00	सूखा	सूखा	2.75	1.50	
27	वेदडी वाला कुआ	"	भोपा परिवार	27.29909	76.20585	26.35	1	8.85	2.55	1	
28	बागडी वाला कुआ	"	सुन्दर,छाजू (बितानाम)	27.29950	76.20719	7.40	सूखा	सूखा	3	0	
29	दुदवाला कुआ	"	रामकिशन,जयराम,धासी	27.29970	76.20776	21.25	सूखा	12.75	3.10	0	
30	राझा वाला कुआ	"	नम्पू, नारायण	27.29958	76.20668	6.60	सूखा	2.00	2		भाग्य नहीं
31	अरकण के पास कुआ, बोर	"	भम्पा सोनोड	27.29729	76.20458	16.8	सूखा	0.30	1.70	1.50	
32	नवा कुआ	"	अर्जुन,पैर,सोदु,रामपाल	27.29818	76.20401	24.7	सूखा	7.00	3.20	2	
33	रामनिवास का कुआ	"	छोहर,रामनिवास रैवर	27.29782	76.20185	14.30	सूखा	सूखा	3	1	
34	गोपाला कुआ	"	गोपाल रैवर	27.29736	76.20096	26.2	1.5	6.00	2.60	1.50	
35	बावडीपाला कुआ	"	छोहर,ममभाना,हरसहाय रामताल खोई	27.29651	76.20106	25.2	1.5	6.60	3.60	2	
36	बोर-1. भगवत खटागा की	"	भगवत खटागा	27.30228	76.20100	7	खेर पत्ती वा	सर्पंच पत्ती			
37	बोर-2. अर्जुन सुर्जर की	"	अर्जुन,सोदु,पैर,रामपाल	27.29963	76.20248	107	खेर पत्ती वा	सर्पंच पत्ती			
38	बोर-3. रामकिशन,भारु की	"	रामकिशन,जयराम,धासी	27.29834	76.20244	73	खेर पत्ती वा	सर्पंच पत्ती			
39	बोर-4. अर्जुन सुर्जर की	"	अर्जुन,सोदु,पैर,रामपाल	27.29845	76.20232	76	खेर पत्ती वा	सर्पंच पत्ती			
40	बोर-5. रामपाल खोई की	"	ममभाना खोई	27.29832	76.20106	125	खेर पत्ती वा	सर्पंच पत्ती			
41	बोर-6. रामताल की	"	रामताल,हरसहाय,छोहर	27.29520	76.20187	85	खेर पत्ती वा	सर्पंच पत्ती			
42	बोर-7. गोपाल खटागा की	"	गोपाल खटागा	27.29599	76.20500	82	खेर पत्ती वा	सर्पंच पत्ती			

हमीरपुर गाँव में किये गये जल-संरक्षण कार्यों का नक्शा (1985 से 2014 तक)

1. झरनाला की तलाश
2. बैलाड़ी की तलाश
3. बंदी बाहर बांध
4. बंगली की मेड़बन्दी
5. पीपली वाली तलाश
6. डम्क बाला बाँध
7. बरघानावाली छोड़
8. रातावा का बाँध
9. किराडी वाली छोड़
10. धोनी बाला छोड़
11. सिरो की छोड़
12. सुहासबाघ का झील
13. भेरी सेरुवाला की मेड़बन्दी
14. लक्ष्मीनारायण की मेड़बन्दी
15. आगुडाल की मेड़बन्दी
16. घाली वाली छोड़ (रुडा की)
17. सोरा वाली छोड़
18. रामचण रेण की मेड़बन्दी - 1
19. " " - 2
20. " " - 3
21. सप्राम की मेड़बन्दी - 1
22. " " - 2
23. " " - 3
24. प्रचवीर वाली छोड़
25. रुडास की मेड़बन्दी - 4
26. " " - 5
27. " " - 6
28. गिरधारी की मेड़बन्दी
29. रुडास की मेड़बन्दी - 7
30. " " - 8
31. रुडास का बाँध (पीपली)
32. जबर सागर (आगुडाल)
33. बंगली की मेड़बन्दी
34. लक्ष्मी की मेड़बन्दी
35. जयसिंहाबाग की मेड़बन्दी
36. भगीरथ का झील
37. हीर की मेड़बन्दी
38. गोपाल की मेड़बन्दी
39. नृपडकी बाला बाँध
40. रामदास बाँध (अमरका)
41. बंदी बाँध
42. रामचण सराफा का बाँध
43. नाथ सराफा का बाँध
44. बरघरी बाला छोड़
45. नाथ नला का बाँध
46. गिरधारी का बाँध - 1
47. " " - 2
48. देवी बाँध की मेड़बन्दी
49. बंगली मेड़बन्दी - 1 (अमरका बाँध)
50. बंगली मेड़बन्दी - 2 (" ")
51. बंगली मेड़बन्दी (लक्ष्मीबाग नाथ की)
52. रामदास की मेड़बन्दी
53. लक्ष्मी छोड़
54. रामदास की छोड़
55. रामदास का झील (मेरीबाग में)
56. हीर की मेड़बन्दी (" ")
57. लक्ष्मीबाग की मेड़बन्दी (अमरका में)
58. हीर की मेड़बन्दी - 1 (नारायण बाग में)
59. " " - 2 (" ")
60. घाली बाला बाँध (अमरका बाग का)
61. नृपडकी की मेड़बन्दी (पीपली की)



क्र. सं.	पौड़ / बीघ का नाम	बीघ का नाम	उत्तरी अक्षांश			पूर्वी देशान्तर			उत्तरी अक्षांश (दिग्री में)	पूर्वी देशान्तर (दिग्री में)
			दि.	मि.	से.	दि.	मि.	से.		
366.	प्रभात की मंडबन्दी	श्रीनगर	27	04	03.11	76	13	53.33	27.06753	76.23146
369.	अजुन की मंडबन्दी-1	श्रीनगर	27	04	07.10	76	13	52.00	27.06864	76.23111
370.	भैरु गोना की मंडबन्दी	श्रीनगर	27	04	05.77	76	13	47.21	27.06827	76.22978
371.	हरबल गोना की मंडबन्दी (कौकड़वाला में)	श्रीनगर	27	04	10.06	76	13	45.59	27.06946	76.23933
372.	अजुन की मंडबन्दी -2	श्रीनगर	27	04	13.44	76	13	50.45	27.07040	76.23068
373.	घाघरी का एनोकेट (बावरी वाला एनोकेट)	श्रीनगर	27	04	31.73	76	13	53.05	27.07546	76.23141
374.	प्रतीक मंडबन्दी (पुनू ग्राम की)	राप्ताळा	27	07	04.32	76	12	24.60	27.11787	76.20683
375.	गोमठी वाला एनोकेट	बस्ती	27	08	21.20	76	14	34.74	27.13922	76.24298
376.	रंजाजी का जोहड़	बस्ती	27	08	23.00	76	14	43.90	27.13972	76.24553
377.	जंबोकाण्ड वाला जोहड़	बस्ती	27	09	00.70	76	14	23.40	27.15019	76.23963
378.	रीता वाला जोहड़	छान्ची	27	09	14.00	76	14	59.30	27.15389	76.24981
379.	पीछ वाला जोहड़	छान्ची	27	09	09.90	76	15	12.70	27.15275	76.25333
380.	सखीर वाला जोहड़	छान्ची	27	09	06.10	76	15	12.40	27.15169	76.25344
381.	बोडी जोहड़ (माल्टर जी की)	छान्ची	27	09	06.50	76	15	27.90	27.15181	76.25775
382.	डेरी का एनोकेट	बस्ती	27	08	33.40	76	15	17.00	27.14261	76.25472
383.	रामपूत का जोहड़ (नई तळाई)	बस्ती	27	08	23.00	76	15	11.80	27.13972	76.25328
384.	सकुलत नायक की तळाई	झंगोता	27	08	26.04	76	15	56.40	27.14057	76.26567
385.	सायाळा का जोहड़	झंगोता	27	07	45.30	76	16	17.50	27.12925	76.27153
386.	भुंगल्याळी तळाई	झंगोता	27	07	35.87	76	15	47.89	27.12663	76.26330
387.	बादल्याळी का तळाई (गोमठी वाला)	झंगोता	27	07	26.58	76	15	31.68	27.12405	76.25880
388.	कासळी का जोहड़	झंगोता	27	07	12.30	76	15	41.20	27.12008	76.26144
389.	जोहल्याळी का जोहड़	झंगोता	27	07	12.20	76	16	21.00	27.12006	76.27250
390.	कुसुरी की घाटी का जोहड़	नीमला	27	05	49.30	76	15	47.50	27.09703	76.26318
391.	नीमला का एनोकेट	नीमला	27	04	54.20	76	16	05.90	27.08172	76.26831
392.	ससपथ का एनोकेट (कैना वाला)	नीमला	27	04	52.20	76	15	44.90	27.08117	76.26247
393.	बावरी वाला जोहड़	नेताळा	27	04	13.45	76	15	56.02	27.07040	76.26556
394.	खाती वाला जोहड़	नेताळा	27	04	05.70	76	15	53.60	27.06828	76.26489
395.	बोळाई की तळाई (पुरानी जोहड़ी)	राप्ताळा	27	03	50.95	76	16	11.30	27.06415	76.26981
396.	नई तळाई (ताल छम्मा वाला जोहड़ी)	राप्ताळा	27	03	47.60	76	15	57.10	27.06322	76.26586
397.	भुंगल्याळी का जोहड़	किशानाळा	27	03	42.30	76	15	55.70	27.06175	76.26547
398.	सुखदेव का बीघ (भगतकाळा)	राप्ताळा	27	03	43.27	76	15	29.85	27.06202	76.26832
399.	छेंदू गोना का बुलाता का बीघ	राप्ताळा	27	03	47.59	76	14	42.32	27.06322	76.24509
400.	नया कुळी का बीघ	राप्ताळा	27	03	17.28	76	15	32.04	27.05480	76.25890
401.	पटल सागर	किशानाळा	27	03	25.40	76	15	48.70	27.05706	76.26353
402.	सढके ऊपरला बीघ	किशानाळा	27	03	17.82	76	15	50.76	27.05495	76.26410


हमारा संकल्प

पानी जहाँ दौड़ता है, वहाँ इसे चलना सिखाना है ।
जहाँ चलने लगे, वहाँ इसे रंगना सिखाना है ।
जहाँ रंगने लगे, वहाँ इसे ठहराना है ।
जहाँ ठहर जाये, वहाँ इसे धरती के पेट में बैठाना है ।
ताकि नज़र न लगे सूरज की,
और जब कभी सूखा और अकाल आए
तो मर्यादित होकर इसी जल से, जीवन चलाना है ।

गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती ।
नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॥



अरवरी संसद का 17वाँ अधिवेशन



साँवतसर की बावड़ी



जोसेफ सी. जॉन अवार्ड समारोह में तत्कालीन पहलमहिम राष्ट्रपति के.आर. नारायणन्, राजस्थान के पहलमहिम राज्यपाल अंशुमान सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक पहलोत, विज्ञान पर्यावरण केन्द्र की सुनीता नारायण एवं सम्मानित भावता कौल्याजा ग्राम सभा सदस्यमण

